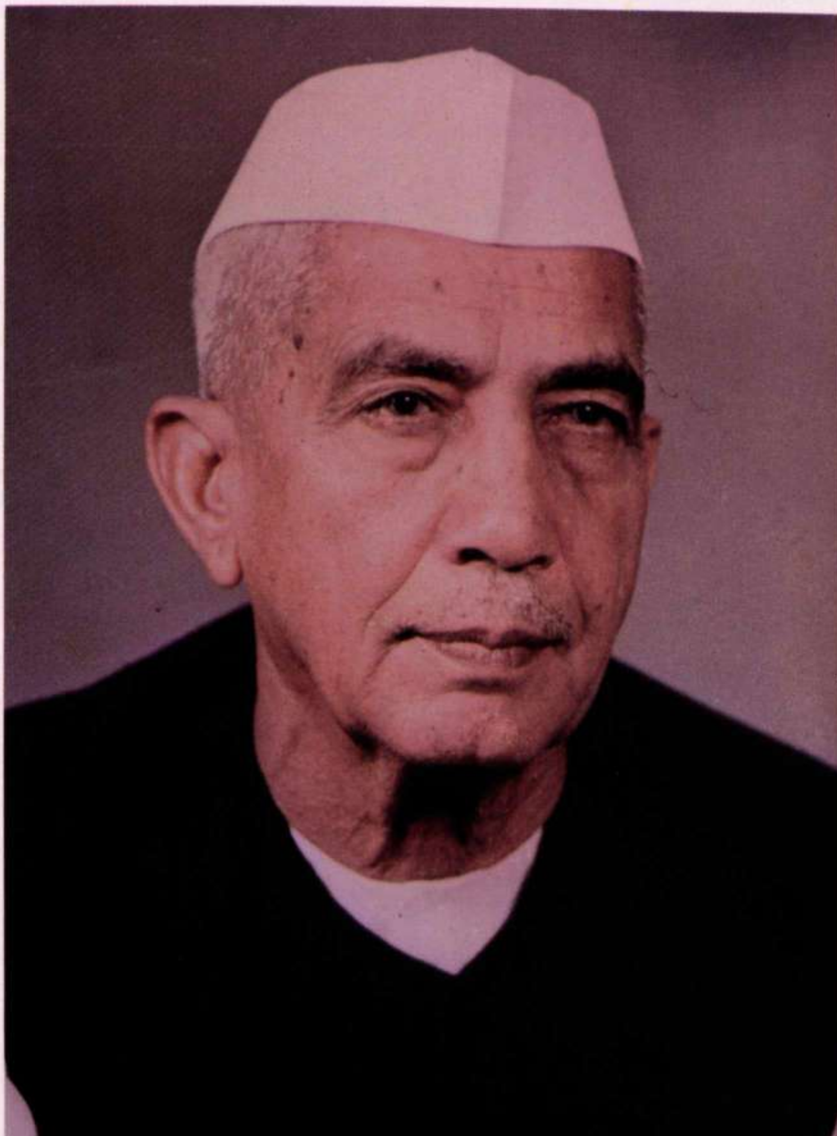

चरण सिंह

चुने हुए भाषण

इस पुस्तक में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चुने हुए भाषण संकलित किए गए हैं। जब श्री चरण सिंह ने सरकार की बागडोर संभाली, उन दिनों राष्ट्र के सामने अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याएं मुंह बाए खड़ी थीं जिनका तत्काल समाधान ढूंढ़ने की जरूरत थी। उन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया और उनके समाधान निकालने की कोशिश की।

चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसानों और गरीबों की समस्याओं की जमकर वकालत की। उनका गांधीवादी दर्शन में गहरा विश्वास था और गांधी जी की तरह ही उनकी मान्यता थी कि राष्ट्र का सार्वजनिक जीवन तब तक संवर्द्धित नहीं हो सकता जब तक कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की कर्तव्यभावना उत्कृष्ट कोटि की नहीं हो जाती। उनकी कोशिश थी कि आशंका, निराशा और अनिश्चितता के वातावरण की जगह लोगों में उम्मीद और विश्वास की सर्जनात्मक भावना जगे।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में उनका मानना था कि शांति का संदेश फैलाने में देश की गौरवपूर्ण विरासत और परंपराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। गुटनिरपेक्षता और तटस्थता की नीतियों में उनकी गहरी आस्था थी।

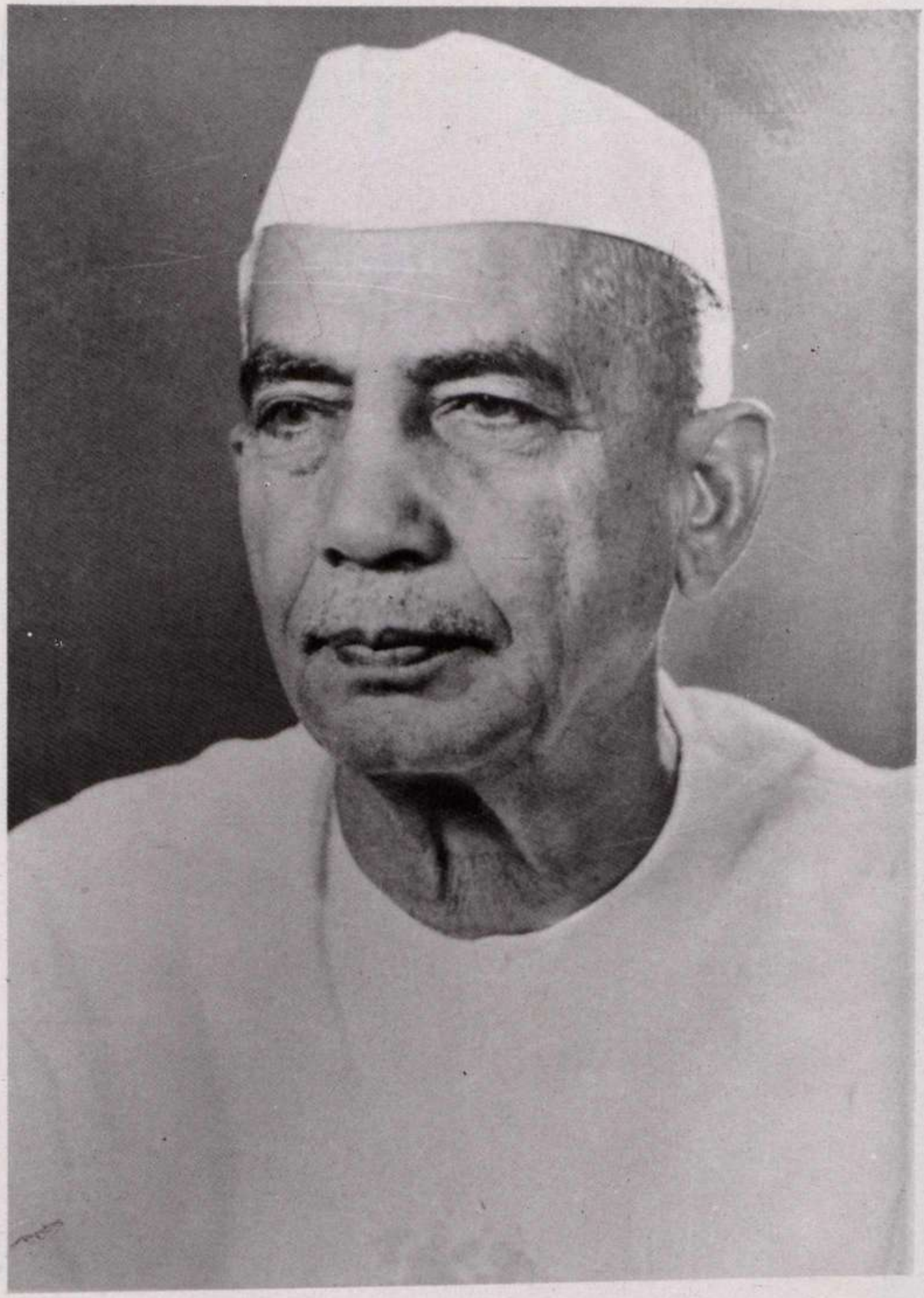

चरण सिंह

चुने हुए भाषण

जुलाई 1979–दिसंबर 1979

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

प्रथम संस्करण : 2000 (शक 1921)

©

ISBN:81-230-0820-1

मूल्य : 145 रुपये

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित

विक्रय केंद्र • प्रकाशन विभाग

- पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001
- सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
- हाल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
- कामर्स हाउस, करीम भाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038
- 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069
- राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600090
- बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004
- प्रेस रोड, तिरुअनंतपुरम-695001
- 27/6, राममोहन राय मार्ग, लखनऊ-226001
- राज्य पुरातत्वीय संग्रहालय, पब्लिक गार्डंस, हैदराबाद-500004
- 'एफ' विंग, प्रथम तल, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034

विक्रय काउंटर • पत्र सूचना कार्यालय

- 80, मालवीय नगर, भोपाल-462003
- सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, 'ए' विंग, ए.बी. रोड, इंदौर, (म.प्र.)
- बी-7, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

अनुक्रम

लोगों के विश्वास की पुनर्स्थापना और पुनर्बलीकरण 1

(राष्ट्र के नाम प्रसारण, नई दिल्ली; 28 जुलाई, 1979)

प्रगति के लिए संकल्प 5

(लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली; 15 अगस्त, 1979)

सर्वोच्च प्राथमिकता पर स्वास्थ्य 12

(26 अगस्त, 1979 को नई दिल्ली में चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया उद्घाटन-भाषण)

कृषि का आधुनिकीकरण 16

(30 अगस्त, 1979 को हैदराबाद के पाटनचेरू में *इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रापिक्स* के उद्घाटन के समय दिया गया भाषण)

ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 22

(आपरेशन फ्लड-II के उद्घाटन और मदर डेयरी को दुग्ध उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को समर्पित करने के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली; 2 सितंबर, 1979)

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता 26

(गुटनिरपेक्ष आंदोलन के छठे सम्मेलन के अवसर पर क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को लिखा गया पत्र, नई दिल्ली; 3 सितंबर, 1979)

मौसम की स्थिति और फसल आयोजंना 28

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परिसंवाद में दीक्षांत-भाषण, नई दिल्ली; 6 सितंबर, 1979)

सब के लिए स्वास्थ्य 33
(विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन के अवसर पर दिया गया स्वागत-भाषण, नई दिल्ली; 18 सितंबर, 1979)

आर्थिक अपराधियों पर अंकुश 38
(मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली; 27 सितंबर, 1979)

बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं 43
(बाल दिवस पर संदेश, नई दिल्ली; 14 नवंबर, 1979)

विकास के लिए आणविक ऊर्जा 45
(अंतरराष्ट्रीय परमाणविक ऊर्जा एजेंसी की आम सभा के 23वें सत्र को संबोधन, नई दिल्ली; 4 दिसंबर, 1979)

संदेश और श्रद्धांजलियां

पाकिस्तान को शुभकामनाएं 53
(पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पाकिस्तान इस्लामिक गणतंत्र के राष्ट्रपति माननीय जनरल जिया-उल-हक को बधाई संदेश, नई दिल्ली; 13 अगस्त, 1979)

विपदा में सांत्वना 54
(गुजरात में आई विनाशकारी बाढ़ में हुई जान-माल की क्षति पर संवेदना संदेश, नई दिल्ली; 13 अगस्त, 1979)

माउंटबेटन : एक अभिन्न मित्र 55
(लार्ड माउंटबेटन की मृत्यु पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भेजा गया शोक-संदेश, नई दिल्ली; 26 अगस्त, 1979)

राष्ट्र की आत्मा जयप्रकाश 56
(लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मृत्यु पर शोक-संदेश, नई दिल्ली; 8 अक्तूबर, 1979)

महान लोकोपकारक मदर टेरेसा 57

(मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने के अवसर पर संदेश, नई दिल्ली; 17 अक्तूबर, 1979)

1400वां हिज़्री नववर्ष 58

(1400वें हिज़्री नववर्ष के अवसर पर संदेश, नई दिल्ली; 20 नवंबर, 1979)

हॉकी का जादूगर 60

(मेजर ध्यानचंद की मृत्यु पर शोक-संदेश, नई दिल्ली; 3 दिसंबर, 1979)

प्रस्तावना

यह पुस्तक स्वर्गीय श्री चरण सिंह के भाषणों, प्रसारणों, श्रद्धांजलियों और संदेशों का संकलन है जो उन्होंने 1979 में अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान दिए थे। भाषणों को कलाक्रमानुसार संकलित किया गया है ।

लोगों के विश्वास की पुनर्स्थापना और पुनर्बलीकरण

आज की रात मैं आपके प्रथम सरकारी कर्मचारी की हैसियत से आपसे बातें कर रहा हूं। आज, मैंने और मेरे कुछ साथियों ने देश को चलाने के पवित्र कर्तव्य की जिम्मेदारी ली है। हमारा सामूहिक प्रयास यह होगा कि इस जिम्मेदारी का निर्वाह हम पूरी निष्ठा और पूरे मन से करें। हमें दिल से इस बात का एहसास है कि हमारे लोगों ने हमें अपनी शुभकामनाएं दी हैं, अपना प्यार दिया है।

हमें इस बात का भी दुख है कि हमारे नेताओं की शुभकामनाओं के बावजूद प्रत्येक क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं। आजादी के तीस साल बाद भी हमारा देश संसार के सबसे गरीब देशों में से एक है।

हमें अपनी गरीबी दूर करनी होगी, और इस देश के प्रत्येक नागरिक की बुनियादी जरूरतें पूरी करनी होंगी। इस देश के राजनीतिक नेतृत्व को यह याद रखना होगा कि हमारे मूल्यों और सपनों का सबसे अधिक मजाक अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की दयनीय स्थितियां ही उड़ाती हैं। भूख से बिलबिलाते बच्चे की आंखों से झलकती निराशा से बढ़कर कुछ भी दर्दनाक नहीं है। कोई भी बच्चा भूखा न सोए, कोई भी परिवार कल की चिंता न करे, कुपोषण से किसी भी भारतीय नागरिक का भविष्य और उसकी क्षमताएं नष्ट नहीं हों– राजनीतिक नेताओं के लिए यही राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। इससे बढ़कर राष्ट्रभक्ति वाले और कोई लक्ष्य नहीं हो सकते।

राष्ट्र के नाम प्रसारण, नई दिल्ली; 28 जुलाई, 1979

बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे बड़ा और कोई दुख क्या हो सकता है कि हमारे नौजवानों को, जो अच्छी तरह से शिक्षित हैं और अपने लिए अच्छा रोजगार ढूंढ़ रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। हमें उन सब के लिए रोजगार की व्यवस्थो करनी है। वास्तव में, रोजगार ही वह मुख्य औजार है जिससे गरीबी दूर की जा सकती है। इसलिए सरकार के कार्यक्रमों और उसकी नीतियों में बेरोजगारी उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

दौलत और आदमी की असमानता इन वर्षों में काफी बढ़ी है। हमारे गांवों और शहरों की आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों में बहुत फर्क है। यह खतरनाक प्रवृत्ति है जिसे रोका जाना चाहिए। मेरी सरकार कोशिश करेगी कि शहरों के विकास को एक खास सीमा के बाद अवरुद्ध किया जाए।

हमारे जैसे देश में जहां आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का कोई अंत नहीं है, कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्र में छोटी आर्थिक इकाइयों की स्थापना पर हर संभावित तरीके से बल दिया जाए और उन्हें बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं लगाया जाना चाहिए कि मेरी सरकार में सिद्धांतत: बड़े उद्योगों की भूमिका को लेकर कोई असमंजस है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी, बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती रहेगी। और यदि राष्ट्रीय हित में उनकी जरूरत होगी तो सार्वजनिक क्षेत्र में भी उनकी स्थापना की जाएगी। इतना ही नहीं, विशिष्ट परिस्थितियों में निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी किया जा सकता है।

साथ ही हमारी सरकार यह महसूस करती है कि भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जाता है और सारे समाज को भ्रष्ट करता है। जब तक ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की व्यक्तिगत निष्ठा ऊंचे दर्जे की नहीं होगी तब तक प्रशासन से भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं होगा और न उसे कम किया जा सकेगा। हालांकि अंतत: इसका वाजिब समाधान जनता के हाथों में है जिन्हें अपने नेताओं को चुनने का अधिकार है। सरकार इस मामले में जो भी कदम उठाना होगा, उठाएगी।

मेरे और मेरे मंत्रियों के बारे में काफी अफवाहें फैलाई गई हैं। इससे यह आशंका पैदा हुई है कि जो लोग हिंदी नहीं अपनाना चाहते उन पर यह थोपी जाएगी। अपने देश के अल्पसंख्यक और कमजोर लोगों के साथ न्याय नहीं किया जाएगा। ये अफवाहें बेबुनियाद और झूठ हैं।

सभी पिछड़ी जातियों, कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी और उन्हें इतनी सहायता दी जाएगी कि वे समाज में रचनात्मक भूमिका निभा सकें।

सरकार सभी अल्पसंख्यकों को अत्यधिक अवसर प्रदान करेगी ताकि उनका आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित हो सके और उन्हें प्रभावकारी ढंग से इस समाज में मिलाने का काम करेगी।

हर भाषा में विकास के लिए अवसर पैदा किया जाएगा। किसी भी भाषा को किसी भी व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध थोपा नहीं जाएगा। हालांकि सरकार को यह उम्मीद है कि एक दिन एक ऐसी संपर्क भाषा विकसित होगी जो कि सब को स्वीकार्य हो।

देश के सामने आज गंभीर संकट है। यह कोई साधारण समय नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं। लोगों में तेजी से विरक्ति का भाव आ रहा है। इस कठिन क्षण में हमारा पहला काम यह है कि हम लोगों में फिर से उम्मीद जगाएं और उस उम्मीद को मजबूत करें।

कीमतें बढ़ रहीं हैं, इससे लोगों के मन में आशंका घर कर गई है कि कोई आर्थिक संकट आने वाला है। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार स्थिति से निबटने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। सरकारी गोदामों में अनाज का काफी भंडार है और हमारे पास विदेशी मुद्रा का भी पर्याप्त भंडार है। हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। कोयला, बिजली, इस्पात और सीमेंट के उत्पादन में आई गिरावट और रेलवे के परिचालन, गोदियों में मालों की ढुलाई की गति में गिरावट तथा औद्योगिक संबंधों में बिगाड़ को सहानुभूतिपूर्वक, लेकिन कड़ाई से निबटा जाएगा।

सामान्य कानून और व्यवस्था में भी तनावपूर्ण स्थितियां हैं। लोगों के मन में इसकी वजह से निराशा की भावना भरी है, उसे भी प्रभावकारी तरीके से ठीक किया जाएगा।

हमें लोगों के मन में यह विश्वास जगाना होगा कि इन बहुमुखी समस्याओं से निबटने में हमारी राजनीतिक व्यवस्था सक्षम है। अनिश्चितता, आशंका और

भय के वातावरण की जगह देश में उम्मीद का वातावरण निर्मित करना है।

वैचारिक मतभेदों को रातों-रात दूर करना मुश्किल है। इसलिए समय की पुकार है कि मूल्यों और राष्ट्रीय लक्ष्यों पर आधारित एकता कायम की जाए।

हिंदुस्तान को विभिन्न राष्ट्रों के बीच अपनी महान विरासत और परंपराओं के साथ एक विशिष्ट भूमिका निभानी है। शांति का संदेश हमें चारों तरफ फैलाना है और जहां भी अशांति का वातावरण है, वहां मरहम लगाने का काम करना है।

मैं यहां जोड़ना चाहता हूं कि विदेशी मामलों में हमारी सरकार गुटनिरपेक्ष नीति पर कायम रहेगी जिसका मतलब है कि हम किसी भी शक्तिशाली देश की ओर नहीं झुकेंगे।

भारत एक समृद्ध देश है जहां प्रकृति की कृपा है और जहां महान संस्कृति, परंपरा, दक्षता और कठिन श्रम की उच्च क्षमता वाले लोग हैं। यह मेरा सौभाग्य और कर्तव्य होगा कि मैं इस देश के सभी वर्ग के लोगों की सेवा करूं, नैतिक और आर्थिक मजबूती के लिए हर संभव काम करूं और जीवन स्तर में सुधार ला पाऊं।

प्रगति के लिए संकल्प

आज हम लोग आजादी की बत्तीसवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह महात्मा गांधी और हमारे दूसरे नेताओं के त्याग और प्रयास का नतीजा था कि अंग्रेजों के दो सौ वर्षों की गुलामी से हमें आजादी मिली। इस अवसर पर यह उचित ही होगा कि हम महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, लेकिन सिर्फ श्रद्धांजलि ही काफी नहीं है।

केंद्र सरकार में हाल ही में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। लोगों ने न जाने कितनी बातें इस बारे में बनाई हैं। वे कहते हैं कि यह खिचड़ी सरकार है, कैसे चलेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जनता सरकार भी ऐसी ही सरकार थी। उसका नाम एक था लेकिन उसमें कई पार्टियां शामिल थीं। इन बातों के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि कुछ लोगों ने उन सीढ़ियों को ही गिरा देने का प्रयास किया जिन पर चढ़कर वे सत्ता तक पहुंचे। मैंने 24 जून को अपने सबसे नजदीकी सहयोगी राजनारायण से सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति जताई थी। उसके बाद जो घटनाएं घटीं उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को मजबूर किया कि हम उस सरकार को छोड़कर बाहर निकल जाएं। आज, कांग्रेस, जनता (एस) और समाजवादी पार्टी की मित्र पार्टियों– महाराष्ट्र की किसान और मजदूर पार्टी और समाजवादी दलों के सदस्य, जिन्होंने पिछली जुलाई में इस सरकार के पक्ष में बयान दिए थे, सब मिलाकर 200 से अधिक सदस्यों का समर्थन हमें प्राप्त है। इसे आप खिचड़ी सरकार या जो भी कहना चाहे, कहें। जिस दिन दूसरे लोग या पार्टियां या नेता एक बड़ी

लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली; 15 अगस्त, 1979

पार्टी बनाने में सफल हो जाते हैं और हमें चुनौती देते हैं तथा जिस समय हमें महसूस होता है कि हम अल्पमत में हैं, कुर्सी छोड़ने में हम एक मिनट भी नहीं लगाएंगे।

मैं और मेरे सहयोगी मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते हैं। मध्यावधि चुनाव काफी खर्चीले होते हैं और दूसरी समस्याओं को भी जन्म देते हैं। बल्कि मैं महसूस करता हूं कि कोई भी दल मध्यावधि चुनाव नहीं चाहता है। तो भी यदि हमें चुनाव कराना ही पड़ा तो हम आप के पास आएंगे और आप से आपका वोट मागेंगे। मुझे उम्मीद है कि उस हालत में कांग्रेस, जनता (एस) और दूसरे भागीदार जिनके बारे में हमने कहा है, एक संयुक्त दल बनाने की स्थिति में होंगे जो पूरे देश में बहुमत प्राप्त करेगा।

इस देश में जो समस्याएं हैं उनमें सर्वाधिक गंभीर समस्या गरीबी की है। विश्व के 125 देशों में हमारा स्थान 111वां है। इसका मतलब यह हुआ कि संसार में हमसे अधिक अमीर देशों की संख्या 110 है। तीन साल पहले, हमारा स्थान 104वां था जो कि अब गिरकर 111वां हो गया है। इससे इस देश के गरीबी के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है।

बेरोजगारी दूसरी समस्या है। जिस समय जनता पार्टी सत्ता में आई थी उस समय से अब तक रोजगार कार्यालयों में 25 लाख और बेरोजगार युवकों ने अपने नाम लिखवाए हैं। इस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षित अशिक्षित दोनों ही बेरोजगार हैं। शहरों में भी शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर हैं। अत: हमें बेरोजगारी दूर करनी है।

तीसरी समस्या जो कि हम आर्थिक क्षेत्र में महसूस कर रहे हैं वह अमीरों और गरीबों के बीच का बढ़ता हुआ फासला है। अंग्रेजों के जमाने में भी यह गैरबराबरी थी। छोटे पैमाने पर यह गैरबराबरी सभी जगह है। और इसे दूर करना असंभव है। लेकिन एक अच्छी सरकार वही हो सकती है जो गैरबराबरी को कम करे, न कि उसे और बढ़ने दे। आजादी के समय से अमीरों और गरीबों के बीच की दूरी बढ़ी है और आर्थिक सत्ता कुछ लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई है।

इसके अलावा सामाजिक तनाव है। मैं इसके कारणों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन गरीब, हरिजन और कमजोर वर्गों के लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्मों को मानने वाले अल्पसंख्यकों को भी इसी तरह

राष्ट्र के नाम प्रसारण; 28 जुलाई 1979

श्री राजनारायण और श्री बीजू पटनायक के साथ

अमरीकी सीनेटर चार्ल्स पर्सी से मुलाकात; नई दिल्ली; 8 अगस्त 1979

दिल्ली प्रशासन द्वारा आयोजित ग्रामीण युवाओं के लिए स्व-रोजगार प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए; 15 अगस्त 1979

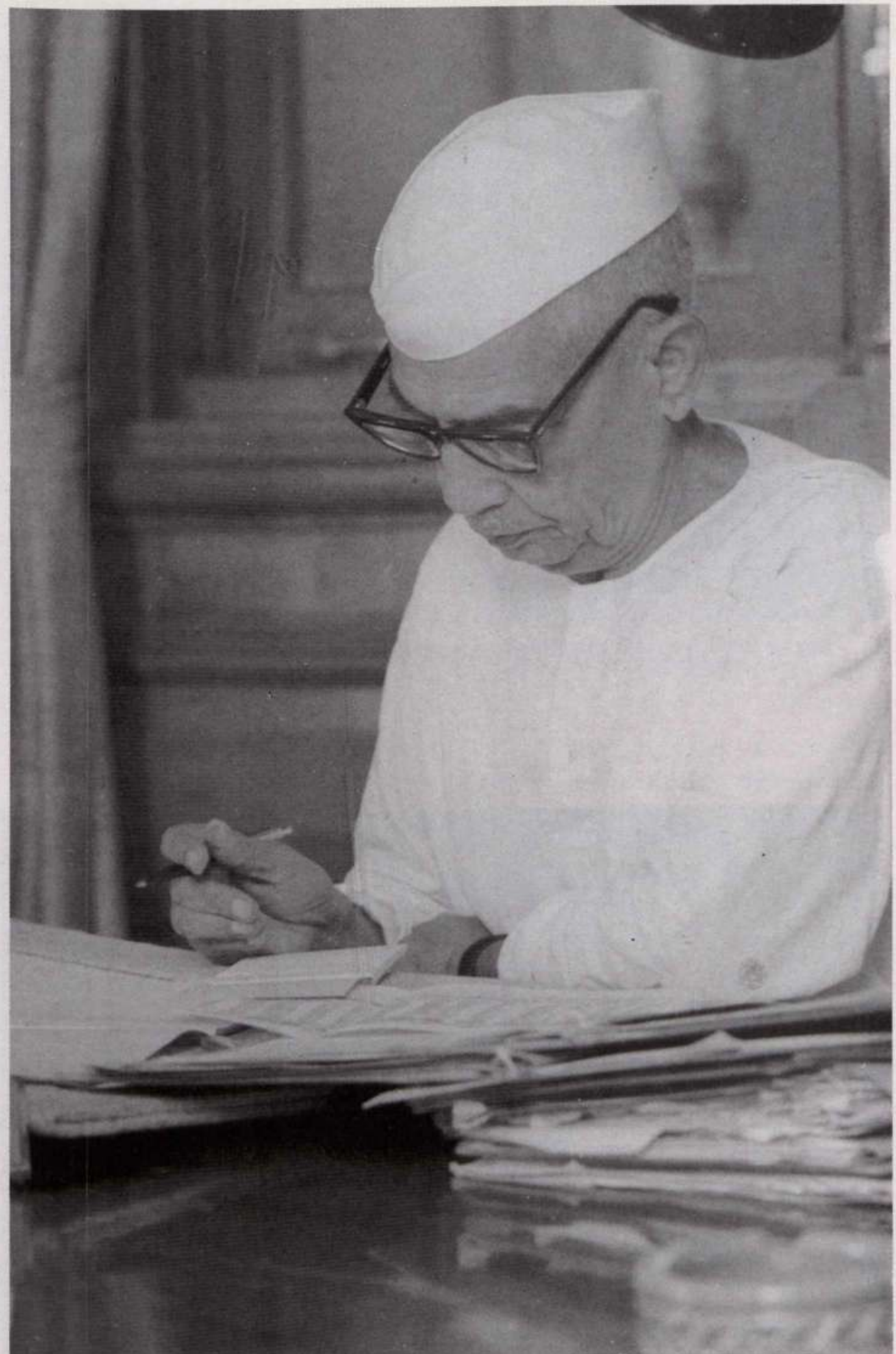

कार्यालय में; अगस्त 1979

मिस्र के विदेश राज्य मंत्री माननीय डा. बुतरस घाली के साथ; नई दिल्ली, 17 अगस्त 1979

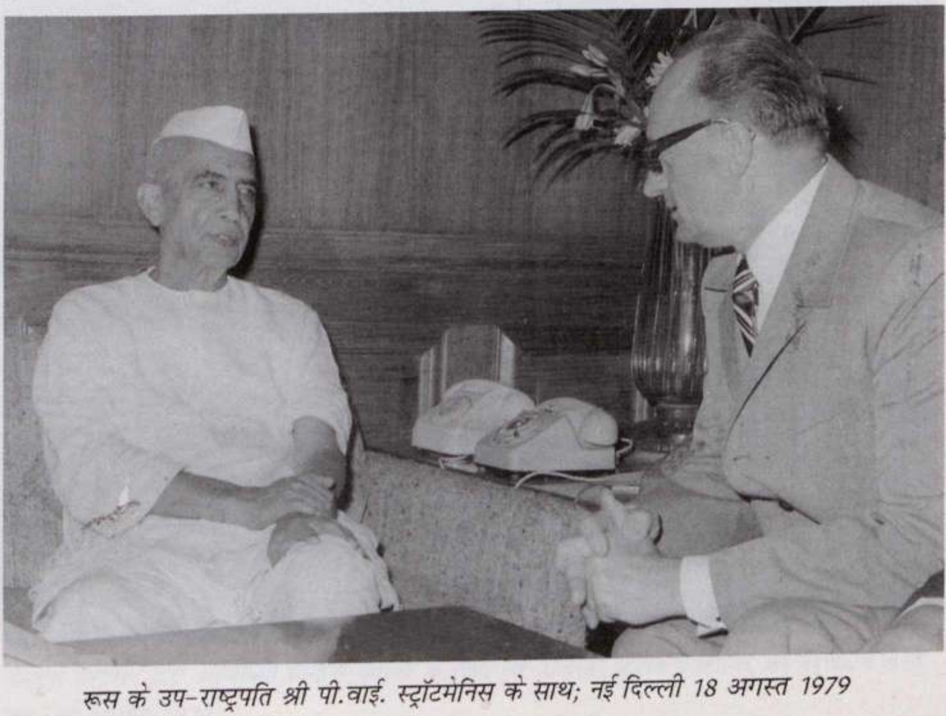

रूस के उप-राष्ट्रपति श्री पी.वाई. स्ट्रॉटमेनिस के साथ; नई दिल्ली 18 अगस्त 1979

का तनाव महसूस होने लगा है। इसके कारण ऐतिहासिक हो सकते हैं। और अभी इनके बारे में विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस सरकार की कोशिश होगी कि वह पहले से चले आ रहे इन तनावों के मूल कारणों को दूर करे और देश में शांति और समृद्धि की स्थापना करे। हम इस काम में अपने आप को सफल हुआ तभी मानेंगे जब एक साल तक या इस सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई सांप्रदायिक दंगा न हो।

दोस्तो, हमारे सामने एक तात्कालिक समस्या है मूल्य वृद्धि की। पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सीमेंट, कोयला, बिजली के उत्पादन में बहुत कम पैसा लगाया गया। जनता सरकार के अंतिम छह महीनों के दौरान, अर्थात जनवरी से जून 1979 के बीच इनकी पूरी अनदेखी की गई। कोयला, बिजली, रेल-चालन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ता है। इसके अलावा हड़तालें हुई हैं और बंदरगाहों पर जहाजों से एक-एक महीने से लेकर पैंतालीस दिनों तक माल की ढुलाई नहीं हुई । इन सबका नतीजा यह हुआ कि मूल्यों में वृद्धि हुई। मेरी सरकार और विभागों में मेरे सहकर्मी हर संभव प्रयास करेंगे कि उत्पादन बढ़े। वे दिल्ली में बैठे नहीं रहेंगे। वे बिजली उत्पादन गृहों और कोयला खदानों तक जाएंगे।

जब तक उत्पादन नहीं बढ़ता, मूल्य वृद्धि होती रहेगी। यह देश विकास नहीं कर पाएगा।

एक और बात ध्यान आकर्षित करती है कि अनाज जैसी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं जबकि अनाज की कोई कमी नहीं है। इस संबंध में खुदरा विक्रेताओं और थोक व्यापारियों से मैं अपील करता हूं कि वे लालची बनने और मुनाफा कमाने से बचें। यह हमारे जनमानस और देश को ठेस पहुंचाता है। अब तक चले आ रहे कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को समाप्त करने के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। इसे हम आगे जारी नहीं रहने देंगे।

दोस्तो, हम सभी जानते हैं कि किस वर्ग के लोगों को सबसे अधिक सरकार की मदद की जरूरत है। इसके बारे में बताने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ चीजों की कीमतें बढ़ने के बावजूद हमारे पास अनाज की कमी नहीं है। हमारे भंडारगृह भरे पड़े हैं और इसके लिए हमें किसान भाइयों का आभारी होना

चाहिए। बारिश हो या न हो, हमारे किसान अपना काम करते रहते हैं। अतः जहां तक अनाज का सवाल है इसकी इस देश में कोई कमी नहीं होगी। विदेशी मुद्रा की भी कमी नहीं है । इसका इस्तेमाल उन चीजों के आयात पर किया जाएगा जिनकी देश में कमी होगी।

मैं उन वर्गों का हवाला दे रहा था जिन पर सरकार को सबसे अधिक ध्यान देना है– हरिजन, आदिवासी, भूमिहीन, बेरोजगार या अर्द्ध-बेरोजगार और 50 प्रतिशत किसान जिनके पास एक हेक्टेयर या उससे कम जमीन है। इन गरीब वर्गों की अब तक उपेक्षा हुई है। सरकार इन पर विशेष ध्यान देगी। योजना आयोग के ताजा आकलन के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का 48 प्रतिशत गांवों में है और 41 प्रतिशत शहरों में। ये वे लोग हैं जिन्हें पेट भरने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। आप पूछ सकते हैं कि जब हमारे भंडारगृहों में अनाज भरा पड़ा है तब वे भूखे क्यों हैं? कारण यह है कि उनके पास क्रयशक्ति नहीं है। आप के चारों तरफ अनाज भरा पड़ा हो तब भी अगर एक आदमी के पास अनाज खरीदने का पैसा न हो तो वह भूखा ही रहेगा। अतः सरकार उन लोगों पर अधिक ध्यान देगी जो गरीब हैं, भूखे हैं। इनमें से 41 प्रतिशत शहरों के भव्य महलों और बंगलों के पिछवाड़े में रहते हैं और 48 प्रतिशत गांवों में। यदि हम उन पर ध्यान नहीं दे सकते जिसका वे हकदार हैं तो यह सरकार सत्ता में बने रहने लायक नहीं है।

हमारी कोशिश यह होगी कि इस देश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहे। कृषि उत्पादन में वृद्धि और कुटीर और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना पर विशेष ध्यान देना होगा। अंग्रेज जब यहां आए तब जनसंख्या का 25 प्रतिशत इन उद्योगों में लगा हुआ था। आज बड़े उद्योगों और कारखानों के बावजूद केवल 9 प्रतिशत लोग ऐसे उद्योगों में हैं। अतः इसके बावजूद कि बंबई और दिल्ली में लाखों कारें हैं, बड़ी संख्या में आकाश को छूती इमारतें हैं, लाखों लोगों के घरों में टेलीविजन और रेडियो हैं, मुझे महसूस होता है कि हम लोग आज जहांगीर और औरंगजेब के जमाने से भी अधिक कमजोर और गरीब हो गए हैं।

अपने शहरी दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं अखबारों में छपने वाली आलोचनाओं और लोगों की टिप्पणियों का कोई जवाब नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट और उद्योगों का विकास संभव ही

तब है जब लोगों के पास क्रय-शक्ति है। यदि ग्रामीणों, बेरोजगारों और गरीबों के पास क्रय-शक्ति नहीं है तो हमारे उद्योग विकास नहीं कर सकेंगे और देश समृद्धि की ओर नहीं बढ़ सकेगा। सिर्फ वही देश अमीर माना जाएगा जिसकी जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा गैर कृषि कार्य में हो। हमारे देश में 1951 में उद्योगों में केवल 10 प्रतिशत लोग थे। 1961 में इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। 1971 में भी यही हाल था। उद्योगों का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कृषि का विकास न हो। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अतएव हम लोग देहातों में कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करेंगे।

आज औरतें सड़क पर पत्थर तोड़ती हैं। उनके पूर्वज कौन सा काम करते थे? वे लघु उद्योगों में काम करते थे या कारीगरी करते थे। अंग्रेजों के जमाने में ये शिल्प विलुप्त हो गए और हम लोग इनके प्रति लापरवाह ही रहे। गांवों में कुटीर उद्योगों की स्थापना पर हमारा जोर रहेगा। कृषि उत्पादों में वृद्धि पर हम लोग जोर देंगे। हम यह भी कोशिश करेंगे कि ग्रामीण लोगों को कोई और व्यवसाय मिले ताकि कृषि पर उनकी निर्भरता कम हो। तभी हम समृद्धि की ओर बढ़ सकेंगे।

अपने सहकर्मियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आप का ध्यान मैं महात्मा गांधी के विचारों की ओर खींचना चाहता हूं। महात्मा जी कहा करते थे कि फल हमारे कर्म की परिणति नहीं हैं। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई भी जरिया इस्तेमाल करना ठीक नहीं हो सकता, भले ही उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों न हो। अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप का जरिया भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। आप, विशेष करके सरकारी नौकर, और हम सब को इस सलाह को मन में रखना है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो हम भ्रष्टाचार को मिटाने में सफल नहीं हो पाएंगे। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। वह देश जहां भ्रष्ट लोग रहते हैं, कभी प्रगति नहीं कर सकता, चाहे पार्टी का नेता कोई भी हो, चाहे उसके पास कितना ही बढ़िया कार्यक्रम हो।

सार्वजनिक कार्यकर्ता के लिए महात्मा जी एक और बात कहा करते थे कि उसका निजी जीवन उसके सार्वजनिक जीवन से अलग नहीं है। उसके लिए जीवन एक है उसमें कोई अलग-अलग खाने नहीं हैं। यदि उसका सार्वजनिक जीवन पाक साफ नहीं है, तो आप कल्पना कर सकते हैं उसका निजी जीवन कदापि बेहतर नहीं हो सकता और वह सच्चे अर्थों में देश की सेवा नहीं कर सकता।

तीसरी बात जिस पर गांधी जी जोर दिया करते थे और जिसे हम लोगों ने भुलाने की कोशिश की है, वह यह है कि "अच्छी तरह से निष्पादित कर्तव्यों में से ही हमारे अधिकार निकलते हैं। आप देखेंगे चारों तरफ लोग अपने अधिकारों की ही बात करते हैं, बेहतर वेतन और भत्तों की मांग करते हैं। यह सब ठीक है। जरूरी है कि लोगों को अधिकार मिले लेकिन उनके अधिकारों को, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में से निकलना चाहिए। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हम अपने अधिकार कैसे पा सकते हैं? आज कठिन परिश्रम और उद्यम की जरूरत है। यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं तो आप को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आप मुझे क्षमा करें, मैं कहता हूं कि हम लोग कठिन परिश्रम के लिए तैयार नहीं हैं। यदि आप दूसरे देशों को देखें, तो पाएंगे कि वहां लोग अपने उद्योगों, स्कूलों और कार्यालयों में सुबह आठ बजे काम शुरू कर देते हैं और शाम के पांच बजे तक वहीं रहते हैं, इस बीच उन्हें केवल चालीस मिनट का अवकाश मिलता है। वहां काफी कम हड़तालें होती हैं। वहां मांगें कम हैं। जापान में, यदि कोई मजदूर नाखुश होता है तो वह अपनी बांह पर काला बिल्ला लगा लेता है। वह यह नहीं सोचता कि काम रोक देना है। यदि दूसरे देश समृद्ध हुए हैं तो इसलिए कि उन्होंने अधिक प्रयत्न किए हैं, उद्यम किए हैं। हम अधिक कमाना चाहते हैं, सारी सुविधाएं चाहते हैं, सुख से रहना चाहते हैं लेकिन इसके लिए बिना मूल्य चुकाए हमें इस संसार में कुछ नहीं मिल सकता– चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई देश। यदि पश्चिम आज अधिक समृद्ध है, यदि जापान और इजरायल समृद्ध हैं तो ऐसा कठिन श्रम और उद्यम के चलते हुआ है। यदि हमें भी वैसा ही समृद्ध और उन्नतशील होना है तो हमें कठिन श्रम और उद्यम का प्रदर्शन करना होगा। जब मैं ऐसा कहता हूं तो उसमें मैं अपने आप को और अपने मंत्रियों को भी शामिल करता हूं। केवल हमारे अनवरत कठिन परिश्रम से ही इस देश की प्रगति संभव है।

विदेश नीति की बात करें। हम पुरानी नीतियों का पालन करते रहेंगे– हम किसी विशेष खेमे की ओर नहीं झुकेंगे। यही हमारी नीति होगी और यह जारी रहेगी क्योंकि हम इसमें अपने देश की भलाई देखते हैं। हम किसी भी देश की ओर नहीं झुकेंगे भले ही वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। हम मानते हैं कि विश्व में शांति की स्थापना केवल तभी हो सकती है और लोगों को खुशी तभी मिल सकती है जब महात्मा गांधी की बातों का पालन किया जाए। आज नहीं तो कल यह संसार इस बात को समझेगा।

जहां तक दक्षिण एशिया के देशों का सवाल है, उनसे हमारा संबंध सुधरा है, यदि एकाध मिसाल को छोड़ दें, तो वहां भी हमें उम्मीद है हमारे संबंधों में सुधार होंगे।

इस संदर्भ में मैं पड़ोसी देशों की चर्चा करना चाहूंगा। पाकिस्तान, जहां के लोग कल तक हमारे ही हिस्से थे– हम जानते हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। किसके खिलाफ इस्तेमाल के लिए ये बम बनाए जा रहे हैं? चीन से उनकी दोस्ती है। रूस से उनका कोई झगड़ा नहीं है। अफगानिस्तान एक छोटा देश है और उससे भी उनका कोई झगड़ा नहीं है। यदि मैं और मेरे साथी और मेरे देशवासी निष्कर्ष निकालते हैं कि यह बम हमारे खिलाफ है, भारत के खिलाफ है तो यह सच्चाई से परे नहीं है।

यह हमारा निर्णय है और रहेगा कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे और न ही परमाणु बम बनाने वालों की पंक्ति में जाकर बैठेंगे। तो भी यदि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने के अपने निर्णय पर अड़ा रहता है और बम बनाना जारी रखता है और ऐसे बमों का भंडार बढ़ाता है तो हम लोग इस प्रश्न पर पुनर्विचार के लिए बाध्य होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन सभी लोकतांत्रिक शक्तियों का आह्वान करता हूं, जो धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं। वे अपने छोटे-छोटे मतभेदों को भुला दें, और आगे आकर मेरी, मेरे साथियों और मेरी सरकार की मदद करें।

सर्वोच्च प्राथमिकता पर स्वास्थ्य

यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आपने मुझे आज इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया है। जब मैं श्री रवि राय की बातें सुन रहा था, तो मुझे लगा कि आदमी के पास अंतरिक्ष में पांव रखने की काबलियत तो है, यहां इस पृथ्वी पर अपनी ही देखभाल करने में वह असमर्थ है। आधुनिक डाक्टर अपने ही बुने हुए जाल में फंस कर रह गए हैं। चिकित्सा-विज्ञान की शिक्षा जैसी चीज हमें विरासत में मिली है और हमने उसका विकास किया है, वह इस व्यवस्था का एक हिस्सा है। हर दिन चिकित्सा विज्ञान में कुछ नई संवेदनशील प्रगति हो जाती है जो मनुष्य को एक नई ऊंचाई देती है! लेकिन साथ ही उसके पांव के नीचे की जमीन और फिसलन भरी हो जाती है।

इस संदर्भ में भारतीय परिस्थितियां शायद दूसरे विकासशील देशों की परिस्थितियों से अलग नहीं हैं। मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूं। सुविज्ञता के आदान-प्रदान के भी खिलाफ मैं नहीं हूं। यह संसार एक विशाल परिवार है। लेकिन यदि हमारी अपनी दशा की उपेक्षा होने लगे, यदि इससे हमारे लोगों के दुखों का अंत न हो, तब हमें एक पल के लिए रुक कर यह सोचना पड़ेगा कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं वह क्या वही दिशा है जिस ओर हमें जाना चाहिए।

मेरे ख्याल से इस दिशा को बदलना होगा और यह बदलाव प्रबल होना

---

26 अगस्त, 1979 को नई दिल्ली में चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया उद्घाटन-भाषण

चाहिए। पूरी व्यवस्था ही बदल देनी होगी। मेरा दिल तो गांवों में बसता है क्योंकि वहीं भारत रहता है।

मुझ में इतना धीरज नहीं है कि गांव और शहर तथा आदमी और आदमी के बीच बढ़ती हुई खाई को देख सकूं। इस शिक्षा पद्धति को बदलना होगा जो लड़के-लड़कियों को केवल शहरों के लिए चिकित्सा-विज्ञान की शिक्षा प्रदान करती है, और विदेशों के लिए भी। इस शिक्षा व्यवस्था को देश की स्थितियों से रू-ब-रू होना पड़ेगा। रोगमुक्त करने या रोगों का इलाज करने की तुलना में अधिक जरूरी यह है कि स्वास्थ्य और रोगों की रोकथाम के सार्थक पक्षों पर ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है। इसे लोगों के सांस्कृतिक आचार-विचार का हिस्सा बनाने की जरूरत है क्योंकि उन्हीं की बदौलत इसे जीवनी-शक्ति मिलती है।

मेरे दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के चार अवयव हैं- शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। मैं तो यही कहूंगा कि इसे इसी रूप में विकसित किया जाना चाहिए। मैं यह समझ नहीं पाता हूं कि अभी तक शिक्षा-व्यवस्था में स्वास्थ्य शिक्षण को क्यों नहीं शामिल किया जा सका है। इस स्थिति के कारण जो भी हैं, इस समस्या की चुनौती का मुकाबला हमें ही करना पड़ेगा। तभी इसमें सुधार आएगा। जिन लोगों को स्कूलों और कालेजों के माध्यम से दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाई है, दूसरे माध्यमों से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने की जरूरत को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।

यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आदमी के व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया को आर्थिक प्रगति से अलग रखा जाता है। किन्हीं कारणवश योजना बनाने की प्रक्रिया में उस आदमी को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है जिसके लिए योजना बनाई जाती है। इस्पात संयंत्रों और भारी मशीनों की फैक्ट्रियां लगाने में हमने काफी निवेश किया है। वहां वे मशीनें बनाई जाती हैं जो और मशीनें बनाती हैं। हम इस बात पर ही गर्व कर लेते हैं कि हमने औद्योगिकरण के रास्ते पर काफी तेज प्रगति की है, कि प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से हम कई देशों से आगे हैं। मैं भी ऐसा गर्व महसूस करता हूं। मैं भी चाहता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हो। लेकिन यह गहरे अफसोस की बात है कि आदमी और उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों पर सीधे पूंजी लगाने के कार्यक्रमों को विशेष महत्व

नहीं दिया गया। मैं श्री रवि राय के दृष्टिकोण से सहमत हूं कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की सूची में स्वास्थ्य को उच्चतर स्थान मिलना चाहिए।

कुछ देर पहले मैंने गांवों का जिक्र किया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई स्वास्थ्य योजना लागू की है। और इसके लिए मैं उन्हें अपनी बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत कई गांवों में एक लाख से भी अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक काम करने में लगे हैं और ये स्वयंसेवक सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। इस कदम के दूरगामी महत्व हैं। एक बड़े विकास कार्यक्रम में सामुदायिक सहभागिता का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। नीचे से आयोजना की परिकल्पना को यह ठोस स्वरूप प्रदान करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस तरह से जो करना चाहता है उसकी मैं तहे दिल से प्रशंसा करता हूं। लेकिन तब भी मैं यह कहना चाहता हूं कि देहातों के लिए और बहुत कुछ करना अभी बाकी है, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी।

जब दिल्ली या कलकत्ता में बिजली की आपूर्ति बाधित होती है, यह खबर अखबारों में सुर्खियों में छापी जाती है। इसी तरह, राजधानी में जब जल आपूर्ति ठप्प हो जाती है तब गुस्से का पारा काफी ऊपर चढ़ जाता है। वही होता है जैसा कि होना चाहिए। जब लोगों को वे सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए और जिनकी उन्हें आदत पड़ चुकी है तो उसके लिए परेशानी महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन क्या कोई यह प्रश्न पूछ सकता है– इन सुविधाओं के बिना गांवों में रहने वाले लोग कैसे रह लेते हैं? क्यों हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं? लाखों गांव हैं जहां बिजली नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। यह मान लेना गलत है कि गांवों में रहने वाले लोग उनके पास जो है उसी से संतोष करते रहेंगे। उनके हित में, देश के हित में यह जरूरी है कि बुनियादी सुविधाएं जो शहरों में उपलब्ध हैं, गांवों तक भी पहुंचें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवियों को, प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों के नेटवर्क को समुचित समर्थन दिया जाना चाहिए। इन केंद्रों और उपकेंद्रों पर ऐसे लोग भेजे जाएं जिनकी शिक्षा उन लोगों की शिक्षा के अनुरूप हो जिनकी सेवा उन्हें करनी है। यदि आने वाले समय में योजना हमारे राष्ट्रीय जीवन के इस महत्वपूर्ण पक्ष की उपेक्षा करती है तो लोकतंत्र और जनहित के सारे सिद्धांत अर्थहीन हो जाएंगे।

आप जहां भी हैं, ऊंचे पदों पर हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की वर्तमान पद्धति में

कैसा सुधार किया जाना चाहिए इस पर आपको सुझाव देने में मैं अपने आपको सक्षम नहीं पाता। लेकिन मैं फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूं कि आप जो भी निर्णय करें वह हमारी जरूरतों के अनुरूप हो, आप तमाम लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। यदि इसके लिए औद्योगिक क्षमताओं को कम करना पड़े, स्वास्थ्यकर्मियों के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम तैयार करना पड़े, तो हमें ऐसे निर्णय लेने में झिझकना नहीं चाहिए।

श्री रवि राय ने बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्याओं की ओर इशारा किया है। मैं उनसे सहमत हूं। यह उन प्रमुख समस्याओं में से एक है जिनसे आज देश जूझ रहा है। अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन देने के हमारे प्रयासों का यह समस्या मजाक बना देती है। ठीक है, इस समस्या का संबंध काफी हद तक गरीबी की समस्या से है। दोनों से हमें एक ही साथ जूझना है। यदि हम जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगा पाते हैं तब हम गरीबी कम करने की दिशा में ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जो सराहनीय हो। दूसरी ओर यदि जनसंख्या वृद्धि को रोका न गया तो गरीबी और बढ़ेगी, यह बात हमें घर-घर तक पहुंचानी होगी। परिवार नियोजन को अपने जीवन में अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए भारी-भरकम कार्यक्रम बनाने होंगे। श्री रवि राय के मंत्रालय ने ऐसा एक कार्यक्रम क्रियान्वित किया है और मैं इसकी सफलता की कामना करता हूं। इस सम्मेलन से मैं कहना चाहता हूं कि डाक्टरों को इस समाज में मेरे और श्री रवि राय और दूसरे राजनीतिज्ञों के मुकाबले अधिक प्रतिष्ठा मिली हुई है। इसलिए उन्हें परिवार नियोजन आंदोलन को और प्रभावकारी बनाने के लिए आगे आना चाहिए। वे रोज लाखों रोगियों और उनके परिजनों के संपर्क में आते हैं। यदि, जब वे उन्हें दवाएं दे रहे हों, उनसे परिवार नियोजन के बारे में बात करें और इसे अपनाने के लिए प्रेरित करें, तो यह उन लोगों और संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उनकी ओर से एक बड़ी सेवा होगी। परिवार नियोजन को एक विषय के रूप में चिकित्सा-विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस विषय को उसके सारे सम-सामयिक आयामों और राष्ट्रीय जीवन में उसकी गहरी प्रासंगिकता के साथ पढ़ाया जा रहा होगा। आज आप लोगों को संबोधित करने का अवसर देने के लिए मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार प्रकट करता हूं। मैं आश्वस्त हूं कि इस विमर्श में से चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा के पुनर्निर्धारण और पुनर्योजन के लिए ठोस और सुविचारित सुझाव उभर कर आएंगे।

कृषि का आधुनिकीकरण

संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए प्रयोगशाला और दूसरी जरूरी सुविधाओं के निर्माण कार्य के पूरा होने के अवसर पर हो रहे इस समारोह में आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस काम के पूरा होने के अवसर पर *इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी-एरिड ट्रापिक्स* बोर्ड के निदेशक और कर्मचारियों, आंध्र प्रदेश सरकार और इस काम को पूरा करने में सहयोग देने वाले सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि इतनी बड़ी सुविधाएं मिल जाने के बाद आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी. (इक्रीसैट) के वैज्ञानिक अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधों में फसल उत्पादन को बढ़ाने और स्थिर रखने वाली प्रौद्योगिकी के विकास जैसे जो काम उन्हें सौंपे गए हैं उन्हें पूरा कर सकेंगे।

फसलों, जिन को आपने अनुसंधान और खेती-बाड़ी करने के लिए चुना है, वे हमारी ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत में कृषियोग्य क्षेत्र के 70 प्रतिशत से अधिक में फसलों का होना वर्षा पर निर्भर है। वास्तव में अतीत में जब भी वर्षा नहीं हुई, खेती चौपट हुई है और इसलिए रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। परिणाम, चारों तरफ भूख और अकाल। आजाद भारत में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बंगाल में हुए अकाल, भुखमरी और मौतों को हमने सफलतापूर्वक टाल दिया है। हमारे पास अब काम के लिए अनाज कार्यक्रम है जो अपने आप में अद्वितीय है।

---

30 अगस्त, 1979 को हैदराबाद के पाटनचेरू में *इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रापिक्स* के उद्घाटन के समय दिया गया भाषण

अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधों में नई प्रौद्योगिकी की तत्काल जरूरत है जो फसल उत्पादन पर खराब मानसून के दुष्प्रभावों को झेलने में किसानों की मदद कर सकती है। सन् 1930 के बाद ही सूखी कृषि के विकसित तकनीक को विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रयोगशालाओं की स्थापना की। हालांकि इन तकनीकों का वह प्रभाव नहीं पड़ सका जिसकी उम्मीद की गई थी, क्योंकि इस क्षेत्र में जो भी तरक्की हुई वह नाकाफी थी और जोखिम बड़े थे। फिर भी पिछले आठ वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सूखी भूमि कृषि अनुसंधान परियोजना के वैज्ञानिकों ने अल्पकालिक जल संरक्षण और सूखे के दौरान भी उगने वाली फसलों की किस्मों के लिए समेकित तकनीकों का विकास किया। पौधों के बचाव और उनके सुपोषण के तरीकों का भी विकास किया गया। पायलट विकास प्रखंडों में इनको आजमाया जा रहा है।

इन प्रयासों के बावजूद यह साफ है कि अर्द्ध-शुष्क और वर्षा पर निर्भर कृषि की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए हमें ज्यादा बड़े और गहन अंतर अनुशासनीय उपायों की जरूरत है। यह तो खाद्य और कृषि संस्थान, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के परामर्शदात्री दल के दूसरे सदस्यों की दूरदृष्टि का सुफल है कि उन्होंने 1962 में हैदराबाद में इस संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया। इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने पिछले सात वर्षों में जो परिणाम प्राप्त किए हैं उनसे जटिल समस्याओं के समाधान खोज लेने की वैज्ञानिकों की क्षमता का पता चलता है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय और अंतर अनुशासनीय सहयोग के मूल्य का उदाहरण है इक्रीसैट। शोध के लिए जिन फसलों का आपने चुनाव किया है, मसलन ज्वार, बाजरा, मूंगफली, चना, मटर और अरहर, वे हमारे देश की आर्थिक स्थिति और हमारी जनता के सुपोषण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अन्न उत्पादन का 50 प्रतिशत और कपास, मूंगफली और दालों का 70 प्रतिशत से भी अधिक उत्पादन सूखी कृषि क्षेत्रों में होता है। यह भी जानना रोचक है कि हालांकि भारतीय कृषि में इन फसलों का महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन इनमें से सभी भारत की देशी फसलें नहीं हैं। दूसरे महादेशों, खासकर अफ्रीका से इन फसलों के बीज आए। अतएव अनंत काल से कृषि वैज्ञानिकों ने राजनीति और भौगोलिक सीमाओं को कभी अपनी सीमा नहीं बनाई। मनुष्य ने उन सभी पौधों को अपनाया और इस्तेमाल किया जो उनके लिए जरूरी थे। पौधे कहां से लाए गए, इसका ख्याल करना उन्होंने बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। मुझे खुशी हो रही है कि वैज्ञानिकों ने इन उदाहरणों से सबक लिया, इस केंद्र पर

काम करने के सहभागी हुए। महात्मा गांधी ने कहा था– अपनी खिड़कियां और दरवाजे खोल कर रखो ताकि चारों ओर से ताजा हवा और नए विचार आ सकें–इस कहावत में जिस बुद्धिकौशल की ओर इशारा किया गया है, इक्रीसैट ने उसे चरितार्थ किया है।

भारत ने गेहूं और चावल के उत्पादन में खासी प्रगति की है लेकिन दालों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने में ऐसी तरक्की नहीं हुई है। इसलिए इक्रीसैट इन्हीं फसलों पर अनुसंधान कर रहा है। राष्ट्रीय न्यूनतम उत्पाद गारंटी कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यत: दालों और तिलहनों के विकसित प्रौद्योगिकी पैकेजों को लोकप्रिय बनाने वाले उपायों पर हमारा कृषि मंत्रालय विचार कर रहा है। मकसद है उत्पादन को सुनिश्चित करना और किसानों को उन खतरों से बचाना जिन पर आदमी का कोई वश नहीं है।

इस संदर्भ में मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इक्रीसैट बोर्ड ने प्रौद्योगिकी आयात की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक विशिष्ट समिति का गठन किया है। हम दालों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपकी किसी भी सहायता का स्वागत करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गुजरात के जूनागढ़ में मूंगफली पर अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर रही है। मुझे उम्मीद है कि यह केंद्र और इक्रीसैट एक साथ मिलकर जल्दी हरी मूंगफली की ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों को विकसित करेंगे।

मैं समझता हूं कि आपका प्रयास एशिया के अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के लिए ही नहीं है बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमरीका के क्षेत्रों के लिए भी होगा। इन सभी देशों की कृषि पद्धतियां हजारों वर्ष पुरानी हैं। हालांकि इन पुरानी पद्धतियों के आधुनिकीकरण के समय यह याद रखना चाहिए कि सारी पुरानी पद्धतियां त्याज्य नहीं हैं। उनमें से कुछ स्थानीय जलवायु और मिट्टी के लिए अधिक उपयुक्त हैं। अतएव पुरानी पद्धतियों को त्याग देने के बजाए जरूरी है कि उनका इस तरह से विकास किया जाए कि नमी के अनुरक्षण और अंकुरण के पनपाव को बढ़ाया जा सके।

कृषि के आधुनिकीकरण का मतलब मशीनीकरण नहीं होना चाहिए। भारत जैसे देशों में, लाभप्रद रोजगार के अवसर पैदा करना सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम

है, इन देशों में कृषि का आधुनिकीकरण या मशीनीकरण जो भी जरूरी हो,वह ऐसा हो कि रोजगार के अवसर कम करने की बजाए रोजगार में विविधता पैदा करे और मेहनत कम करनी पड़े।

हमने हाल ही में सिंचाई से वंचित इलाकों में कृषि उत्पादन की सुनिश्चित वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं- जिन्हें मैं यहां बताना चाहता हूं, खासकर उन लोगों की सूचना के लिए जो दूसरे देशों से आए हैं। सर्वप्रथम, हमने सिंचाई और विशेषकर लघु सिंचाई के क्षेत्र में प्रयास करना प्रारंभ किया है। निजी और सामुदायिक ट्यूबवेल की सहायता से भूमिगत जल की निकासी के लिए हमने उदारता से आर्थिक सहायता देना शुरू किया है। निजी और सामुदायिक कुएं खुदवाने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। हम उन किसानों को भूमिगत जल के इस्तेमाल के लिए भी आर्थिक सहायता दे रहे हैं जिनके पास अधिकतम चार हेक्टेयर जमीन है। दूसरे, कृषि उत्पादन के भंडारण और उनकी बिक्री के लिए हम भंडारण-गृह के निर्माण के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम पर विचार कर रहे हैं। भारत के सूखी कृषि क्षेत्रों के किसान सिंचाई वाले क्षेत्रों के किसानों की तुलना में अधिक गरीब हैं। परिणामत: फसल पक जाने के बाद कृषि उत्पाद संभालने का साधन उनके पास नहीं है। उनमें ज्वार, बाजरा, दालों जैसे अनाजों को फसल काटने के तुरंत बाद ही कम दाम पर बेच देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है- सरकार के द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से भी कम मूल्य पर। उम्मीद की जाती है कि राष्ट्रीय ग्रामीण अन्न भंडारण ग्रिड जिसे हम लोग प्रोमोट कर रहे हैं, शोषण और मजबूरी में अनाज बेचने से गरीब किसानों को बचाएगा। मैं मानता हूं कि प्रेरणाप्रद वैज्ञानिक कृषि की कुंजी उत्पादक समर्थक बाजार में है।

तीसरे, इस साल 15 अगस्त से हमने कृषि-प्रधान उद्योगों के विभिन्न हलकों में ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार के प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग हर साल दो लाख ग्रामीण युवकों और युवतियों को काम करते हुए सीखने की तकनीक के जरिए जरूरी दक्षता प्रदान करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इक्रीसैट इस कार्यक्रम में हमारी मदद करेगा। अंतत: छोटे किसानों की विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सरीखे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमने किसानों के लिए अनेक किस्म की सेवाओं का शुभारंभ कर लिया है। मुझे विश्वास है कि यदि आकर्षक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकी पैकेज उपलब्ध

हो जाए तो हमारे किसान सिंचाई-विहीन इलाकों को उत्पादक कृषि क्षेत्रों में बदल देंगे।

सन् 1972 को जब यह संस्थान स्थापित किया गया था, असामान्य मानसून और सूखा के लिए याद किया जाएगा। इस साल फिर जब इक्रीसैट केंद्र का उद्घाटन हो रहा है, दक्षिण-पश्चिम मानसून का व्यवहार असामान्य है। अतः आपको एक अद्भुत अवसर मिला है। आप अपने अनुसंधान के असर का इस मौसम में आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं, खासकर तब जबकि कड़े सूखे से प्रभावित राज्यों में से एक आंध्र प्रदेश है।

उत्तर भारत का कुछ हिस्सा बाढ़ और सूखे से प्रभावित है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र के लुनी नदी की घाटी में अचानक बाढ़ आ गई थी। गुजरात के मोरइ क्षेत्र में भी बाढ़ आ गई थी । बाढ़ और सूखा, आंधी, बर्फीले तूफान लोगों को अनकही तकलीफें पहुंचाते हैं। फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं । खतरों से निबटने की तैयारी की प्रक्रियाओं को हमने सुधार दिया है और राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन की स्थिरता प्राप्त करने के लिए तीन-स्तरीय योजना बनाई है। इस योजना के मुख्य अवयव हैं : (1) फसल को बचाने की तकनीक जिसमें जल संरक्षण और उसका पुनर्उपयोग भी शामिल है ; (2) भिन्न मौसम स्थितियों को सहने वाली आपातकालीन योजनाओं के आधार पर वैकल्पिक फसलों का उपयोग और (3) गैरपारंपरिक मौसमों और सिंचाई वाले क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति उत्पादन कार्यक्रम का शुभारंभ। इस साल उदाहरण के लिए, जून के मध्य तक पश्चिम बंगाल और असम में जूट उत्पादन में वर्षा के अभाव के कारण कमी आ गई। मुझे खुशी है कि आंध्र प्रदेश ने मेस्ता की खेती में 30 प्रतिशत बढ़ोतरी करके हमें बचा लिया। ऊष्ण कटिबंधीय और अर्द्ध-उष्ण कटिबंधीय कृषि के लाभों में से एक यह भी है कि यहां कई फसलें उगाई जा सकती हैं क्योंकि यहां सालभर धूप की अधिकता होती है। वैज्ञानिकों को अनाज के उत्पादन को स्थिर करने की योजना में मदद करनी चाहिए। सरकार की ओर से मैं केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि जैसे ही आप आर्थिक रूप से ठोस और लाभप्रद प्रौद्योगिकी को विकसित कर लेते हैं हम उसके लाभों को समुचित सेवा पैकेजों और जन नीतियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने के लिए कदम उठाएंगे।

इस संस्थान के काम में निरंतर सफलता के लिए मैं निदेशक और इक्रीसैट

के कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आपने इस अवसर पर 'विकास और वर्षा आधारित कृषि के लिए प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान' विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने का निर्णय लिया है। विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के बीच वैचारिक आदान-प्रदान से लाभप्रद परिणाम निकलते हैं। आपकी संगोष्ठी की अनुशंसाओं को मैं पढ़ना चाहूंगा। यदि भारत में आर्थिक प्रगति के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है तो वैज्ञानिकों और विस्तार कार्यकर्ताओं को सिंचाई रहित कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। मुझे उम्मीद है कि भारत में इक्रीसैट की स्थापना से विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के बीच अंतर्संवाद होगा जो वर्षा पर आधारित किसानों में नई उम्मीद जगाएगा और प्रगति लाएगा।

ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम

मैं बहुत प्रसन्न हूं कि अंतरराष्ट्रीय और भारतीय संगठनों के वे प्रतिनिधि यहां आज इकट्ठा हुए हैं जो दिल्ली मदर डेयरी की स्थापना करने में मददगार रहे हैं और जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को पूरा किया है। यह अच्छा शकुन है कि ऑपरेशन फ्लड के दूसरे चरण के औपचारिक शुभारंभ के समय विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक श्री भोगेल और कृषि उत्पादन परिवारों के सैकड़ों प्रतिनिधि यहां रहेंगे।

ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम गांव के दुग्ध उत्पादकों और शहरी उपभोक्ता के बीच सार्थक संबंध बनाने में प्रभावकारी रहा है। इस प्रक्रिया में, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास; इन चार शहरों के दुग्ध बाजार के बड़े हिस्से पर इनका कब्जा हुआ है, दूध आपूर्ति करने वाली जगहों और शहरों के बीच यातायात का विकास हुआ है, भंडारण की सुविधाओं को समृद्ध किया गया है, दूध देने वाले मवेशियों और दूध के उत्पादन को बेहतर बनाने वाली तकनीकी सहायता मुहैया कराई गई है। इसी की वजह से किसानों में यह चेतना आई है कि एक-दूसरे की मदद करने की गरज से सहयोग की भावना पैदा करें और बिचौलियों के शोषण से अपने आप को बचाएं। निश्चित रूप से इससे शहरी उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध वाजिब दाम पर बिला नागा और उनकी जरूरत तथा पसंद के अनुरूप मिलने लगा है।

ऑपरेशन फ्लड-II के उद्घाटन और मदर डेयरी को दुग्ध उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को समर्पित करने के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली; 2 सितंबर, 1979

राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए; 29 अगस्त 1979

अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान में भाषण देते हुए; हैदराबाद, 30 अगस्त 1979

ब्रिटिश उच्चायोग में अर्ल माउंटबेटन के निधन पर शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर करते हुए; नई दिल्ली,
5 सितंबर 1979

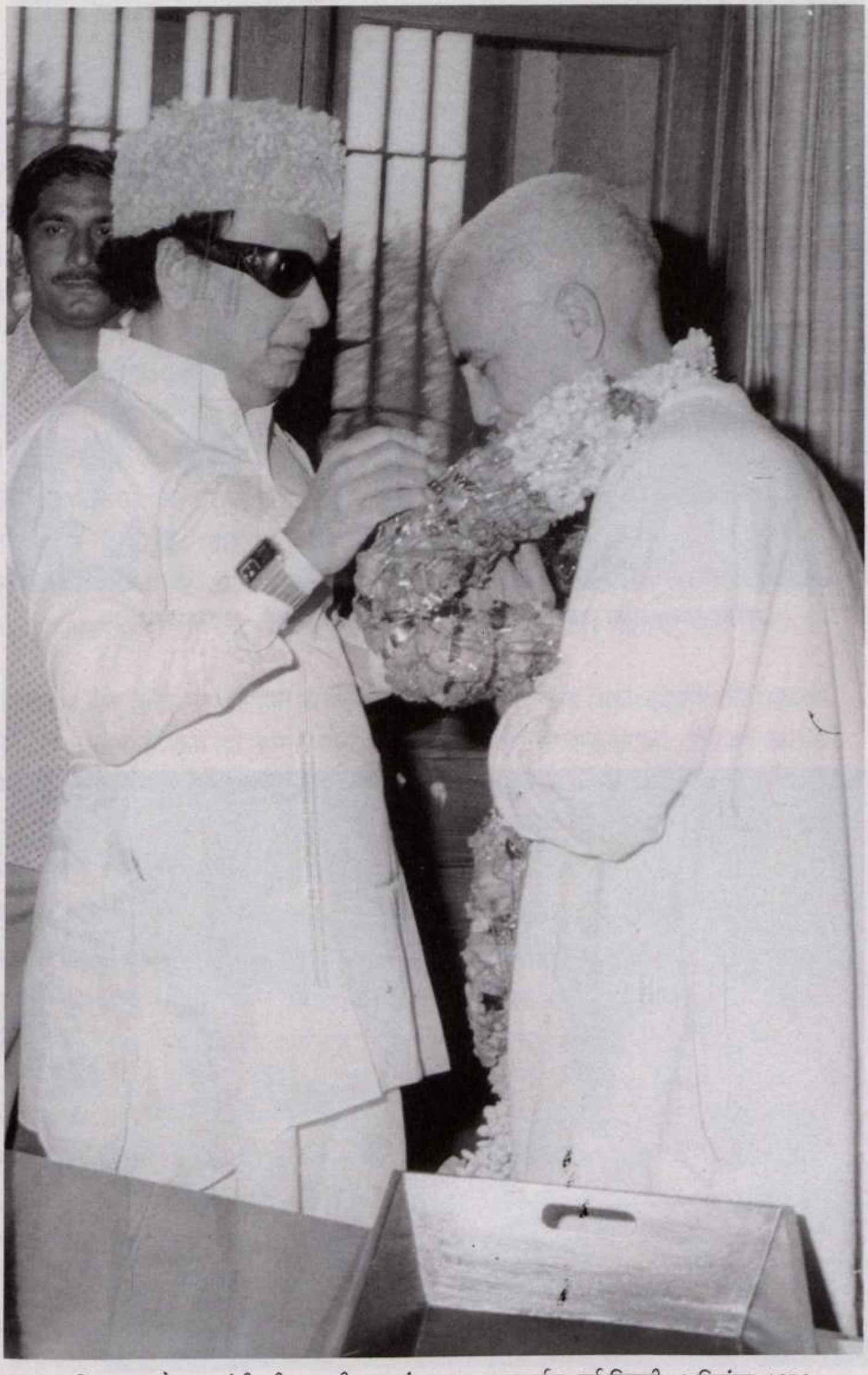

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम.जी. रामचंद्रन द्वारा माल्यार्पण; नई दिल्ली, 6 सितंबर 1979

गोविंद वल्लभ पंत जयंती समारोह में बोलते हुए; नई दिल्ली, 10 सितंबर 1979

निजामुद्दीन औलिया के उर्स में शरीक होते हुए; नई दिल्ली, 10 सितंबर 1979

ऑपरेशन फ्लड के पहले चरण के उद्देश्य प्रशंसनीय थे। जैसा कि हम देखते हैं, उनमें से कई कुछ हद तक संतोषजनक भी रहे हैं। दस लाख से भी अधिक दुग्ध उत्पादक सामने आए हैं। आज दूध प्राप्त करने, उसे ढोने और वितरित करने से संबंधित तौर-तरीके हम सीख चुके हैं। दूध उत्पादकों की गतिविधियों के व्यवसायिकरण की इस प्रक्रिया ने, विशेष रूप से छोटे उत्पादकों को अपने मवेशियों, उनके चारे, उनकी देखभाल और गर्भाधान आदि का बेहतर प्रबंध करने के लिए बाध्य किया है।

कुछ महीने पहले इस कार्यक्रम को नजदीक से देखने का अवसर मुझे मिला था। इस योजना के अंतर्गत जो विकास हुआ है, उससे मैं प्रभावित हुआ था। लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे मन में कुछ संदेह भी थे। मेरा संदेह इस कार्यक्रम को लागू करने के तरीके पर उतना नहीं है जितना कि इस कार्यक्रम की प्रकृति को लेकर है। संदेह इस बात को लेकर भी है कि क्या कार्यक्रम को इस तरह से बनाया गया है कि उससे ग्रामीण इलाकों में पशुओं के प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके या गरीबों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाया जा सके?

दूध देने वाले पशुओं की समस्याएं जगजाहिर हैं, उन्हें यहां दुहराने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में कहें तो हमारे पास पशु अधिक हैं, लेकिन उनका उत्पादन अत्यंत कम है। विभिन्न स्थानीय विश्वासों को ध्यान में रखते हुए कम उत्पादन करने वाले पशुओं को हटा पाना और उनकी जगह पर हमारी स्थितियों को सहने और बर्दाश्त करने वाले देशी पशुओं को लाना हमारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। भारी सूखे वाले इस साल में यह बात गहरे दुख के साथ समझ में आ रही है। देश के अधिकांश भागों में किसानों को कुछ सूझ नहीं रहा है। उन्हें मालूम नहीं है कि पशुओं के लिए पर्याप्त चारा और पानी लाने के लिए क्या करें। उत्पादक पशुओं और अनुत्पादक पशुओं के चारे की जरूरत के बीच संतुलन कैसे पैदा करें।

ग्रामीण इलाकों में व्यापक पैमाने पर मौजूद गरीबी को बढ़ाने वाली दूसरी प्रमुख समस्या है निम्नस्तरीय पोषण की व्यापक मौजूदगी। गांवों में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन उसके अनुरूप प्रोटीनयुक्त फसलों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। दूध, मछली आदि पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं हैं, वास्तविक जीवन-स्तर खराब हो गया है। चरागाहों पर प्रतिस्पर्द्धात्मक हक और अनाज तथा दूसरी फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक क्षेत्र मवेशियों के प्राकृतिक चारे की

उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। इससे होता यह है कि किसानों को फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित पौष्टिक चारे पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या दूध की कीमत और दूसरे कारणों पर ऐसे प्रयोगों के दूरगामी परिणामों की पूरी तरह से जांच हुई है?

विशेषज्ञों से मैं सहमत हूं कि ये दूरगामी समस्याएं हैं और जल्दी में हमें ऐसे कार्यक्रम बनाने होंगे जो मवेशियों की संख्या बढ़ाने पर बल दें और दूध की बिक्री की व्यवस्था करें और अंततः दूध उत्पादकों की आमदनी बढ़ाएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब तक जो भी प्रबंध हुए हैं– दूध संग्रहण केंद्रों की शृंखला, शीतगृह, मवेशी सेवाएं देने वाली दुग्धशालाएं, उन्नत यातायात संग्रहण सुविधाओं ने और लाभकारी प्रभाव पैदा किया है। उपलब्धियां प्रभावशाली हैं। लेकिन क्या सारे उद्देश्य एक समान रूप से पूरे कर लिए गए हैं? उदाहरण के लिए, क्या तकनीकी निवेश और उन्नत दुधारू मवेशियों के विकास के कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहे हैं? क्या दूध का उत्पादन इतना अधिक हुआ कि ग्रामीण इलाकों में, विशेषकर गरीबों में, दूध की खपत बढ़ी हो?

इन प्रश्नों का उत्तर हमें ढूंढ़ना होगा क्योंकि अब हम ऑपरेशन फ्लड के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अब हमें मवेशियों की नस्ल सुधारने और उत्पादन बढ़ाने में अक्षम मवेशियों को अलग करने पर अधिक ध्यान लगाना होगा। कम चारा खाकर अधिक दूध देने वाली मवेशियों के विकास के लिए हो रहे अनुसंधान को तेज करना पड़ेगा। खैर, हर सूरत में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति दुग्ध खपत को बढ़ाया जाए। मैंने बहुत सुना है कि देशी उत्पादित दूध का संग्रहण बढ़ा है। मैंने यह भी सुना है कि बाजार में जाने वाले दूध का 70 प्रतिशत भूमिहीन और छोटे दूध उत्पादक दे रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को लेकर बेहद चिंतित हूं कि इसका गांवों के गरीब परिवारों के बच्चों के पोषण-स्तर पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मुझे इसकी भी चिंता है कि शहरी गरीब लोगों के बच्चों के पोषण स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकेगा। क्या ऐसे परिवारों में दूध की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ रही है? क्या मदर डेरियां सचमुच मां जैसी हैं जो अपने सभी बच्चों की देखभाल एक समान रूप से करती हैं? मैं समझता हूं कि इन मुद्दों पर सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं और उनके परिणामों से हमें लाभ होगा।

मैं कहना चाहूंगा कि दुग्ध उत्पादन और उसके विपणन की प्रक्रिया के व्यवसायीकरण के कार्यक्रम बनाते समय इन पक्षों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। विपणन से ज्यादा उत्पादन पर जोर दिया जाना चाहिए।

इस विषय में आनन्द के कैरा सहकारी यूनियन की कार्य शैली की कई बहुत अच्छी खूबियां हैं और ऐसे कार्यक्रम बनाते समय इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। आखिरकार भारतीय स्थितियों में ये खर्चीले कार्यक्रम हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, विश्व बैंक, खाद्य और कृषि संगठन इत्यादि विदेशी एजेंसियों की वदान्यता को स्वीकार करने पर भी यही बात है। हालांकि इन संस्थाओं के हम आभारी हैं। हमें यह सुनिचित करना होगा कि लागत कम लगे; और यदि आर्थिक सहायता दी जाती है, तो वह केवल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही दिया जाना चाहिए।

मैं इन विचारों को आज आपको सौंपता हूं और इन कार्यक्रमों से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। उनके प्रयास लगातार प्रशंसनीय हों।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता

प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं हवाना में अगले सप्ताह होने वाले छठे गुटनिरपेक्ष शिखर-सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद कर रहा था। मैं इसके लिए भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था कि आपसे व्यक्तिगत परिचय होगा और आपके महान देश की यात्रा करूंगा। हमें यह बात छू गई कि आपने मुझे अपना निमंत्रण देने के लिए अपना विशेष दूत भेजा। इन परिस्थितियों में शिखर सम्मेलन में उपस्थित न होने के अपने निर्णय से मुझे काफी निराशा हुई है। फिलहाल यहां मेरी कई पूर्व निर्धारित व्यस्तताएं हैं जिनके कारण मैं हवाना नहीं आ पा रहा हूं।

लेकिन मैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के इस शिखर-सम्मेलन के, जो आपकी विशिष्ट अध्यक्षता में संपन्न होने वाला है, महत्व और ऐतिहासिक प्रकृति के प्रति अत्यधिक सचेत हूं। जब से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से यह काफी आगे बढ़ा है और इसकी अनेक उपलब्धियां भी हैं। क्यूबा और भारत दोनों इस आंदोलन के संस्थापक सदस्य हैं। हम लोगों ने मिलकर इसे मजबूत बनाया है। आंदोलन के सिद्धांतों और उद्देश्यों को आकर्षक समझने वाले देशों और लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आंदोलन के विस्तार और उसकी संवृद्धि से हम सबको काफी संतोष हुआ है। हालांकि इससे कुछ समस्याएं भी खड़ी हुई हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के छठे सम्मेलन के अवसर पर क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को लिखा गया पत्र, नई दिल्ली; 3 सितंबर, 1979

हमारी प्रतिबद्धता, जो हमें एक-दूसरे से जोड़ती है, आपके सुझाव और मार्गदर्शन से, संसार के भीतर अनेक सहयोगियों के सहयोग से, इन समस्याओं का समाधान ढूंढ़ लिया जाएगा। आंदोलन की एकता को बनाए रखना है। विकसित और औद्योगिक समाजों के साथ निर्गुट आंदोलन के देशों के सहकारी समूह के रूप में और अपने बीच सहकार के साथ निर्गुट देशों के अधिक तीव्र आर्थिक विकास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप और आपका देश इस अवधारणा के प्रति कितना अधिक प्रतिबद्ध है। सबके प्रति सम्मान की भावना से इसे प्राप्त किया जा सकेगा।

हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगले तीन वर्षों के दौरान आपके नेतृत्व में यह आंदोलन और मजबूत होगा। आपकी बुद्धिमत्ता, गतिशीलता, धीरज और नेतृत्व में मुझे तनिक भी संदेह नहीं। आंदोलन प्रबल बनकर उभरेगा और अपने उद्देश्यों को साधने में इसकी एकता बढ़ेगी।

हमारे विदेश मंत्री, श्री एस. एन. मिश्र, जो कि मेरी अनुपस्थिति में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे, आपके और आपके प्रतिनिधि मंडल के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे। और ऐसा ही सहयोग वह दूसरे प्रतिनिधि-मंडलों के साथ शिखर सम्मेलन में करेंगे। मैं भरोसा करता हूं कि यह सहयोग हमारे साझे लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमें आगे ले जाएगा।

महामहिम, मैं आपको और आपके माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हवाना शिखर-सम्मेलन की पूरी सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। मानवता की चाहत है कि आपके परिश्रम से शांति और स्थिरता में इजाफा हो।

मौसम की स्थिति और फसल आयोजना

कृषि अनुसंधान पद्धति पर इस अंतरराष्ट्रीय परिसंवाद के समापन सत्र का आमंत्रण पाकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसे स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित किया है जिसमें संसार के अनेक हिस्सों के वैज्ञानिक आकर्षित हुए चले आए हैं। उनके आने से कृषि अनुसंधान पद्धति के वैश्विक परिसंवाद को, जो यहां हो रहा है, अर्थवत्ता और संदर्भ मिल गया है।

मैं सम्मानित इसलिए महसूस कर रहा हूं कि मैं विचार से, आस्वाद से, सुख से किसान हूं और कृषि वैज्ञानिक अपना सारा जीवन किसानों के लिए अनुसंधान करने में बिता देता है। मैं कह सकता हूं कि मैंने भी भारतीय कृषि की समस्याओं पर कुछ सोच-विचार किया है। पिछले साल जब मैंने अपने विचारों को एक किताब में कलमबद्ध करने की कोशिश की थी, तब मैंने कहा था :

> ... यदि हम इस देश की आर्थिक तरक्की चाहते हैं तो हमें चाहिए कि कृषिकर्म से मुक्त होकर उद्योग, व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट और दूसरे गैर-कृषि व्यवसाय को अपनाएं। इससे उसी अनुपात में लोग मुक्त हो पाएंगे जिस अनुपात में कृषि उत्पादन बढ़ेगा। चूंकि लगातार भूमि से जुड़े लोग कम-से-कम होते जाएंगे, इसलिए भूमि में अधिक से अधिक पूंजी का निवेश करना पड़ेगा, कृषि संबंधी प्रौद्योगिकी के विकास की

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परिसंवाद में दीक्षांत-भाषण, नई दिल्ली; 6 सितंबर, 1979

> गति को अपनी कल्पना से भी तेज करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, व्यावहारिक रूप में कहा जा सकता है कि भारत का आर्थिक विकास उन कृषि-जन्य तरीकों को उन्नत बनाने पर निर्भर करता है जिन्हें हमने लागू किया है और उस पूंजी के जरिए ही प्राप्त हो सकता जो हमने भूमि में निवेश किया है।
>
> अगला कदम सिंचाई और खाद में अधिक से अधिक निवेश की जरूरत के साथ अनुसंधान की आवश्यकता की है। किसानों के लिए सबसे निर्णायक प्रोत्साहन अनुसंधान के जरिए ही प्राप्त हो सकता है जिससे बीज, सिंचाई, जल-प्रबंध, खाद के इस्तेमाल इत्यादि के क्षेत्र में नवीन और नवीनतर प्रौद्योगिकी के कारण उत्पादन में बढ़ोतरी होती हो।

मैंने यह उद्धरण विस्तार से दिया क्योंकि मैं भारत में सघन कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना चाहता हूं। जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अनुभव किया था, वास्तविक भारत गांवों में बसता है और कृषि हमारे गांवों में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इसलिए भारतीय कृषि और इसकी उत्पादकता को बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। वास्तव में, उत्पादकता बढ़ाने में सहायक के रूप में कृषि अनुसंधानों का काफी महत्व है।

इस परिसंवाद में कृषि अनुसंधान पद्धतियों के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा जरूर हुई होगी। मैं आश्वस्त हूं कि आपने अपने मस्तिष्क में भारत जैसे देशों की समस्याओं को और उन कठिनाइयों को जरूर रखा होगा जो हमारे वैज्ञानिक और विस्तार कार्यकर्ता तमाम उन किसानों तक पहुंचने में महसूस करते हैं जिनके अपने सिद्ध विचार, व्यवहार और कार्यक्रम हैं। व्यापक निरक्षता, गहरी पैठी परंपराएं जो लगभग अंधविश्वासों की तरह हैं, चारों ओर फैली हुई गरीबी, उदासीनता और आलस्य की बढ़ती हुई प्रवृत्ति अनुसंधान और नई प्रौद्योगिकी को हमारे देश के लाखों-करोड़ों छोटे-छोटे काश्तकारों तक फैलाने वालों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन हाल ही में जो प्रयास हुए हैं उनसे लगता है कि भारतीय किसान नई प्रौद्योगिकी को अपना सकते हैं। हालांकि प्रकृति की भूमिका सर्वोपरि बनी रहेगी।

आप सब जानते हैं कि भारत सूखे की चपेट में है जिसके कारण लोगों की तकलीफें बढ़ गई हैं, पशुपालन में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा फसलें नष्ट

हुई हैं। मानसून का असामान्य व्यवहार इस जरूरत को रेखांकित करता है कि अनाज उत्पादन को स्थिर करने की दिशा में तत्काल प्रयास होने चाहिए। हालांकि हर साल अनाज उत्पादन के लक्ष्य को एक समान नहीं रखा जा सकेगा। लेकिन जहां तक संभव हो, उत्पादन की कमी-बेसी के फर्क को न्यूनतम करना पड़ेगा। मुझे खुशी हुई है कि इस साल, हमारी अनेक राज्य सरकारों ने आकस्मिक आयोजन की शुरुआत की है। मौसम के व्यवहार में परिवर्तनशीलता का नियोजन फसल योजना का अभिन्न अंग होना चाहिए। केवल सैद्धांतिक योजना अपर्याप्त है। जिस तरह अनाज भंडारण सुरक्षित खाद्य व्यवस्था के लिए आवश्यक है उसी तरह सुरक्षित फसल के लिए बीज कोष आवश्यक है। बीज कोष का संबंध इस प्रकार की फसलों से हो जो सूखे और बाढ़ की स्थितियों में भी उगाई जा सकें; जब सामान्य और परंपरागत फसलें वर्षा के अभाव में या तो सूख गए हों या बोए ही नहीं जा सके हों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसंधान विकास सदस्यों से मैं अपील करता हूं कि फसलों की शीघ्र पहचान करने के काम में मदद करें ताकि सरकार को आकस्मिक योजना को विकसित और क्रियान्वित करने में सहूलियत हो।

मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने स्वर्ण-जयंती को तीन महत्वपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से मनाना तय किया है। पहला, जिसके बारे में दोपहर में महानिदेशक बोल चुके हैं, प्रयोगशाला से खेत तक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से संबंधित है। यदि इस गतिविधि को समर्पण और उत्साह के साथ जारी रखा गया तो अनेक छोटे और सीमांत किसान कृषि अथवा मत्स्य-पालन पोखरों से अपनी आमदनी बढ़ाने में सफल होंगे। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से आग्रह करता हूं कि सही प्रौद्योगिकी को भूमिहीन मजदूर परिवारों तक पहुंचाने में विशेष रुचि दिखाएं। पशुपालन, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर और मुर्गीपालन शामिल हैं, भूमिहीन मजदूर परिवारों की आय के पूरक का काम कर सकते हैं, अगर आप पोषण, स्वास्थ्य सेवा, प्रोसेसिंग और विपणन के क्षेत्र में उनकी मदद के तरीके विकसित करें। छोटे और सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों को फायदे पहुंचाने वाले कार्यक्रमों को समर्थन देना होगा।

संसार के किसी भी कोने में रहने वाला किसान अडिग व्यक्तिवादी होता है। नितांत अकेले और प्रकृति के साथ रहते हुए उसने किसी को आदेश देने या किसी से आदेश लेने की जरूरत महसूस नहीं की है। तब भी यदि उनके आजाद

ख्यालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें नए ख्यालों से परिचित कराया जाए तो उनकी ये विशेषताएं उन्हें नए विचारों को अपनाने से रोक नहीं पातीं। किसानों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करते समय मन में यह भाव होना चाहिए कि वे लोग भी बुद्धिमान हैं; आप उन लोगों से, जिनके अनुभव और उद्गार सीधे प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष सहकार स्थापित करते हैं, 'आपसे हम बुद्धिमान' वाला रिश्ता नहीं बना सकते। इन्हीं कारणों से यह जरूरी है कि साधारण तरीके से प्रौद्योगिकी का विस्तार उन तक हो तो अनुसंधान कार्यकर्ता को किसानों के साथ संपर्क बनाए रखने से लाभ ही होगा। अतएव, मुझे उम्मीद है कि सारे कृषि विश्वविद्यालय और केंद्रीय संस्थान तथा सहसंचालित कार्यक्रम इस तरह के संपर्क बनाने के लिए बेहतर कार्य करेंगे तथा गरीब किसानों और भूमिहीन मजदूरों के स्तर पर आने वाली दिक्कतों की पहचान करेंगे और उनके निवारण में उनकी मदद करेंगे।

प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर लाभप्रद पेड़-पौधों और पशुओं के संरक्षण के लिए आंदोलन चलाए जाने का आपका दूसरा कार्यक्रम, खास महत्व रखता है। यह जानकर मुझे खुशी हुई कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने नींबू-वंश के पेड़ों के संरक्षण के लिए मेघालय के गारो पहाड़ियों में एक जैव-उद्यान की स्थापना हेतु एक विस्तृत रूप-रेखा विकसित की है। इससे उस पर्यावरण को बचाया जा सकेगा जिससे उत्तर-पूर्वी हिमालय क्षेत्र में संतरों में उल्लेखनीय विविधता आई है। आशा है हिमालय के दूसरे हिस्सों में भी आप ऐसी गतिविधियां चलाएंगे। मैं मिट्टी के संरक्षण की जरूरत पर जोर देना चाहता हूं। आखिरकार यह हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मैं आश्वस्त हूं कि मृदा विज्ञान अनुसंधान का स्थान महत्वपूर्ण बना रहेगा और मिट्टी में क्षरण और बहाव इत्यादि को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को अनुसंधानकर्ताओं का दिशा-निर्देश मिलता रहेगा।

और अंत में, मुझे प्रसन्नता है कि स्वर्ण-जयंती कार्यकर्मों के हिस्से के रूप में आपने विकास के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा पद्धति पर अंतरराष्ट्रीय परिसंवाद को चुना है। सौभाग्य से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान तथा शिक्षण संस्थानों और विकास विभागों के बीच हमारे देश में काफी सघन अंतर्संबंध बन चुका है। हालांकि इन अंतर्संबंधों को और मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि हमारे समर्पित वैज्ञानिकों के कार्यों का सुफल अविलंब किसानों और मछुआरों तक पहुंच सके। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कृषि विश्वविद्यालयों को संबंधित राज्यस्तरीय विभागों और किसानों की संस्थाओं तथा

स्वयंसेवी और गैरसरकारी संस्थाओं से मजबूत संबंध बनाने की पहल करनी चाहिए क्योंकि सरकार का उद्देश्य अंततः यही है कि लोगों को ऐसी सहायता दी जाए जिससे वे खुद अपनी मदद करने लगें।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पिछले पचास वर्षों के दरम्यान किए गए अपने कार्यों को संतोष से देख सकता है। आने वाले पचास वर्ष देश के भविष्य के निर्धारण के लिए और अधिक महत्वपूर्ण होंगे। बिना पर्याप्त वैज्ञानिक सहयोग के कृषि की उन्नति की गति को त्वरित करने की हमारी सद्इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी। अतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भविष्य में देश के विकास में पहले से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इस चुनौती भरे कार्य में सफलता के लिए मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सरकार की ओर से पूरा समर्थन देने का आश्वासन देता हूं।

उन वैज्ञानिकों से, जो बाहर से आए हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके सहयोग, सुझाव और सहायता को हम लोग अमूल्य मानते हैं। हैदराबाद में हाल ही में अर्द्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधों के अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की नई प्रयोगशाला के उद्घाटन का अवसर पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ था। ऐसे संस्थान कृषि वैज्ञानिकों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग को काफी बढ़ाते हैं और इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं। विकासशील देशों में कृषि अनुसंधान संगठनों के बीच अंतर्सहयोग बढ़ाने के लिए *इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम फॉर डेवलपमेंट* को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

सब के लिए स्वास्थ्य

मुझे अपनी सरकार और भारत की जनता की ओर से आप सब का अपने देश में स्वागत करने का सौभाग्य मिला है। इस सम्मेलन में शिरकत करने के वास्ते दूरदराज से यात्रा करने का कष्ट उठाकर आप दिल्ली पहुंचे हैं। यह इस बात का परिचायक है कि हमलोग आम जन की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। विभिन्न जगहों में रहने वाले हमलोग एक ही शरीर के हिस्से हैं। यदि इस शरीर का एक हिस्सा कमजोर है, तो निश्चित रूप से वह दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित करेगा। यह सुखद बात है कि बीते समय की तुलना में आज इस बात को लेकर कहीं अधिक चिंता जगी है। यह चेतना और बढ़े, और फैले– इसकी जरूरत है।

अभी जब मैं आपके सामने खड़ा हूं– मुझे महात्मा गांधी का, हमारे समय के महानतम मनुष्य का, जिसने मानव-मुक्ति के संघर्ष में सत्य और अहिंसा को पुनर्स्थापित किया, एक वक्तव्य याद आ रहा है । अब से दो सप्ताह के बाद, 2 अक्तूबर को, हमलोग महात्मा गांधी का 110वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। मैं उस वक्तव्य को दुहराने की अनुमति चाहता हूं, जिसका मैं हवाला दे रहा हूं :

''मैं तुम्हें एक तलिसमां दूंगा। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम पर तुम्हारा स्व हावी होने लगे, तब तुम इसे इस्तेमाल में लाना। सबसे गरीब और

विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन के अवसर पर दिया गया स्वागत-भाषण, नई दिल्ली; 18 सितंबर, 1979

सबसे कमजोर आदमी के चेहरे को याद करना, जिसे तुमने देखा है और अपने आप से पूछना कि तुम जो करने जा रहे हो उससे उस गरीब का क्या कोई फायदा होगा? क्या उससे उसे कोई लाभ होगा? क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर नियंत्रण कर पाएगा? दूसरे शब्दों में, क्या यह भूखों और आध्यात्मिक रूप से महरूम लाखों लोगों को स्वराज (आजादी) की ओर ले जाएगा? तब तुम पाओगे कि तुम्हारे संदेह दूर हो गए हैं और तुम्हारा स्व बर्फ की तरह पिघल गया है।''

मेरा विश्वास है कि यह वक्तव्य इस सम्मेलन के लिए सटीक है। सबसे गरीब और कमजोर आदमी जिसकी हमने पिछले उद्धरण में चर्चा की, कहां रहता या जीता है? हमने उसे उन सारे देशों में देखा है जिनके प्रतिनिधि यहां विराजमान हैं। हम उसे रोज देखते हैं। वह गांव की गली का निवासी है, खस्ताहाल झोपड़ी में रहता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है और वह अपने आस-पास होने वाली घटनाओं से अनजान है। उसने एक लंबे अर्से से अपने होने के दर्द को सहा है। उसे अपने दर्द का एहसास है। वह दबी हुई आवाज में चीखता है। लोग उसे देखते हैं और उसकी बगल से गुजर जाते हैं। कुछ रुकते हैं और सोचते हैं- ''क्या आजादी का मतलब यही है? इस आदमी ने आखिर क्या गुनाह किया है कि उसे इस स्थिति तक पहुंचा दिया गया है? क्या इसका कोई समाधान नहीं है?''

कार्यसूची के विविध विषयों पर विमर्श करते समय मैं आप सब से इस आदमी को याद रखने का अनुरोध करता हूं। दक्षिण-पूर्व एशिया और संसार के दूसरे हिस्से में रहने वाले तमाम लोगों का यह प्रतिनिधि है जहां हमें तत्काल सहायता देनी है।

इस आदमी की इस दयनीय स्थिति के कारण क्या हैं? मेरे दिमाग से वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्थितियों के षड्यंत्र का शिकार है। राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी अपनी सारी बुराइयों के साथ, जिसमें खराब स्वास्थ्य भी शामिल है, उसे विरासत में मिली है। दुर्भाग्य से गरीबी को मापने का पैमाना मूल्य सूचकांक, प्रति व्यक्ति आय, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, क्रय-शक्ति हैं जबकि गरीबी का पैमाना होना चाहिए था आदमी का स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर। इन क्रांतियों को सफल बनाने वाले की चिंता करने की बजाए हमने इस बात की चिंता अधिक दिखाई है कि हरित और औद्योगिक क्रांतियों से राष्ट्र को क्या फायदे

हुए। सर्वाधिक विकसित इलाकों से गांवों को, महानगरों की झुग्गियों और उपेक्षित इलाकों को अलग करने वाली विशाल दूरियां इस मनुष्य के व्यक्तित्व विकास को चौतरफा अवसरों से वंचित करती हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्थितियां अलग नहीं हैं। तीस या उससे भी अधिक वर्षों में कुछ करने का हमने दावा भले ही किया हो, कड़वी सच्चाई यही है कि यह संसार समृद्धि वालों और समृद्धिविहीनों में विभक्त है। समृद्धि के बड़े-बड़े द्वीप हैं, तो गरीबी की अंतहीन मरुभूमियां हैं। कुछ लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि वे अपने पैसे का क्या करें, दूसरों को यह पता ही नहीं चलता है कि कैसे और कहां से कमाएं। एक परमाणु संयंत्र लगाने में इतना पैसा लग जाता है जितना कि ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों-हजारों स्वास्थ्य सेवा केंद्रों की स्थापना पर भी नहीं लगता। हथियारों की होड़ चल रही है। मुझे नहीं मालूम कि इस काम में लगे हुए लोगों को यह सच्चाई मालूम है कि संसार की कुल जनसंख्या का चौथा-पांचवां हिस्सा किसी संगठित स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच ही नहीं पाता है और एशिया और अफ्रीका की पांच लाख औरतें हर साल बच्चे जनते हुए मर जाती हैं। इस सम्मेलन में विमर्श के दौरान यदि सबसे गरीब और कमजोर आदमी को हम अपने दिमाग में रखेंगे और उसे उस दलदल से निकालने का प्रयास करेंगे, जिसमें वह धंसता जा रहा है, तो सचमुच हम लोग कुछ ऐतिहासिक कदम उठा रहे होंगे।

मैं इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का आभार प्रकट करता हूं जो स्वास्थ्य को मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण निवेश समझकर उसे प्रोमोट करने का बहुत बड़ा काम कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों से ही संसार से चेचक का निर्मूलन किया जाना संभव हो सका है। हमें धीरे-धीरे सफलता मिल रही है। दूसरी बीमारियों से लड़ने में, स्वास्थ्य की देखभाल वाले कार्यक्रम में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व से संतोष मिला है । फिर, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अविछिन्न प्रयासों का ही फल है कि देश की योजना बनाने वालों और प्रशासकों ने विकास की प्रक्रिया में स्वास्थ्य को एक जरूरी अंग के रूप में स्वीकार करना शुरू किया है। यदि नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को समृद्ध देशों और विकासशील देशों की मौजूदा गैरबराबरी को बताने के अंतरराष्ट्रीय न्यायसम्मत प्राधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तो दूसरी चीजों के अलावा, खस्ताहाल झोपड़ी में रहने वाले आदमी को उसकी वर्तमान दयनीय स्थिति से निकालने के लिए सभी देश आपस में सहयोग और लेन-देन का संबंध बनाने पर

मजबूर होंगे। उसे अपनी बुनियादी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के प्रति सचेत करना पड़ेगा। उसे इन जरूरतों को पूरा करने के निमित्त बनाए गए कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और उन्हें, जो देश का शासन संभाले हुए हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि बिना साथ-साथ स्वास्थ्य विकास के आर्थिक विकास अर्थहीन प्रक्रिया है।

कुछ देशों में शिशु मृत्युदर एक हजार जीवित जन्मे बच्चों पर 122 से भी अधिक है। कुछ दूसरे देशों में यह दर 15 है। गांवों में 10,000 जीवित-जन्मे शिशुओं पर माताओं की मृत्युदर 0.5 से 177 के बीच है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस दुनिया में इस गैरबराबरी की स्थिति पर इससे बुरी कमेंट्री और क्या हो सकती है? नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को गैरबराबरी की इस स्थिति को पहचानना चाहिए। यह पहचान क्षेत्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों में प्रतिबिंबित भी होना चाहिए। विकसित और विकासशील देशों के संयुक्त प्रयासों से इनका क्रियान्वयन पूरी गति और शक्ति से होना चाहिए।

इस संदर्भ में मैं 1968 में हुई अलमा अटा घोषणाओं का स्वागत करता हूं। 'सन् 2000 तक सब के लिए स्वास्थ्य'- यह बहुत ही प्रशंसनीय लक्ष्य है। यदि इस घोषणा को वही महत्व दिया जाता है जो हाल के वर्षों में परमाणु प्रतिबंध के दर्शन को में दिया गया है और यदि इसे तत्काल और गंभीरतापूर्वक क्रियान्वित किया जाता है तो आने वाली पीढ़ियां इसका उल्लेख महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्य के रूप में करेंगी। हमने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किया है और स्वास्थ्य सेवाओं को संगठित करने के लिए स्वयं अपनी पहल पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि अपने देश के हर गांव, हर दरवाजे तक इसे पहुंचाया जा सके।

मुझे यकीन है कि आप में से कुछ ने हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा परियोजना के बारे में सुना होगा। इस योजना को हमने सन् 1977 में ही शुरू किया था और इसके उद्देश्य अलमा अटा घोषणा की आकांक्षाओं के अनुरूप हैं। हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा परियोजना की मूल अवधारणा यही है कि लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उनके ही हाथों में सौंप दी जानी चाहिए। दस लाख से भी अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी और दो लाख पारंपरिक दाइयां इस परियोजना के अंतर्गत गांवों में प्रशिक्षित की जा चुकी हैं। ये तीस लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। ये उन्हीं गांवों में रहते हैं, जहां वे कार्य करते हैं। साथ ही, हम

सभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं को इस तरह पुनर्गठित करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वे कर्मचारी जो अब तक मलेरिया जैसे एक कार्यक्रम की देखभाल में संलग्न थे, समाज की बुनियादी स्वास्थ्य की सारी जरूरतों पर ध्यान दे सकें। परिणामत: बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की एक नई फौज अस्तित्व में आ गई है। करीब दस लाख ऐसे कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। वर्तमान में हम संसार के किसी भी देश से कहीं अधिक बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं।

ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उस भयानक असमानता को कम करना चाहती है जो राष्ट्रीय परिदृश्य पर स्वास्थ्य सेवाओं में दृष्टिगोचर होती है। हमारी स्वास्थ्य नीति का जोर दवाओं की देशी पद्धतियों पर है जिनकी जड़ें गांवों में हैं लेकिन विगत में समुचित सरकारी समर्थन के अभाव में उन पर बुरा असर पड़ा है। हम लोग चिकित्सा शिक्षण पद्धति सुधारने की योजना भी बना रहे हैं ताकि यह हमारी जरूरतों के अनुरूप बन सके।

मानव संसाधन के विकास और प्रशिक्षण के विस्तार, औषधि उद्योग को बढ़ाने और औषधि वितरण व्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाने, अनुसंधान और अलमा अटा घोषणा के क्रियान्वयन के लिए हम इस क्षेत्र के और इस क्षेत्र से बाहर के देशों के साथ सघन सहयोग करना चाहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मिलने वाली सहायता की हमने हमेशा प्रशंसा की है। अपनी ओर से हम जो भी सहायता दे सकते हैं, देने के लिए तैयार हैं। इस क्षेत्र के भीतर और बाहर के सभी देशों को एक दूसरे की सहायता करने का प्रयास हम करेंगे और इस तरह हम विश्व स्वास्थ्य संगठन को मजबूत करेंगे जिसे सौहार्द्रपूर्ण और स्वस्थ मनुष्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहना है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अधिक तकनीकी सहयोग की जरूरत है। मुझे विश्वास है, इस सम्मेलन की बदौलत परस्पर सहयोग की भूमिका बढ़ेगी और यह साधारण आदमी के लिए लाभप्रद होगा। लेकिन यह सहयोग दवाओं और औषधीय उद्योगों के वर्तमान बहुराष्ट्रीय एकाधिकार को मजबूत करने में नहीं होना चाहिए। जरूरी यह है कि इस क्षेत्र के देश अपनी संपदा का इस्तेमाल करना सीखें और खुद दवा उद्योग की स्थापना करें। अपनी ओर से इस काम में मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे।

आर्थिक अपराधियों पर अंकुश

सबसे पहले मैं सभी मुख्यमंत्रियों का स्वागत करना चाहूंगा जो समय कम होने पर भी इस सम्मेलन में हमारे निमंत्रण पर देश के कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श करने आए हैं। जिस आर्थिक स्थिति से देश गुजर रहा है उससे हम सब को चिंता हो रही है। पिछले कुछ महीनों से महंगाई काफी बढ़ी है और हालांकि अनाज का भंडार कम नहीं है, फिर भी दूसरी जरूरी चीजों के कम होने की खबरें आ रही हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो हम सबके मिले-जुले प्रयास की मांग कर रही है- चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल या क्षेत्र के रहने वाले हों। केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस स्थिति से देश को उबारने के लिए बेहद चिंतित हैं। राज्य सरकारों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है कि लोगों, विशेषकर समाज के सबसे कमजोर तबके को, उचित दर पर आवश्यक चीजों की पर्याप्त आपूर्ति हो। इस संदर्भ में मैंने सोचा कि हमें मिल-बैठकर जल्दी और रचनात्मक बातचीत करनी चाहिए कि लोगों को वर्तमान स्थिति से उबारने के लिए हमें क्या करना है।

इस अवसर पर मैं यह नहीं कहना चाहता हूं या इस बात में जाना नहीं चाहता कि आखिर यह स्थिति कैसे पैदा हुई। इस विषय पर मैंने विस्तार से हाल के अपने प्रेस वक्तव्य में चर्चा की है। यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि लगातार पिछले तीन सालों के घाटे के बजट के कारण रुपये की आपूर्ति में वृद्धि, समर्थित मूल्यों

मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली; 27 सितंबर, 1979

विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए; 18 सितंबर 1979

नेपाल नरेश के साथ; नई दिल्ली, 21 सितंबर 1979

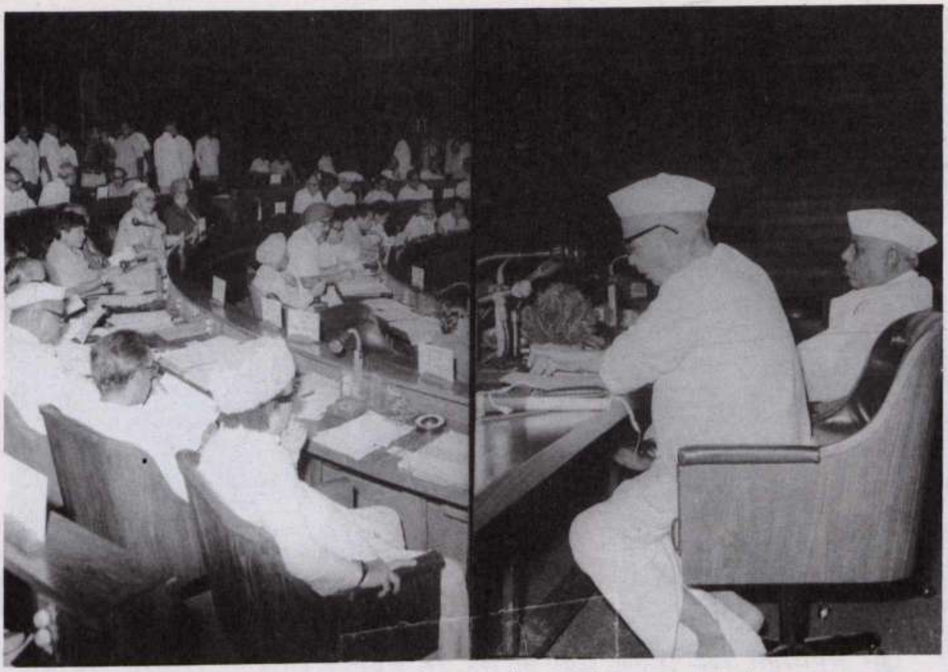

मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए; नई दिल्ली, 27 सितंबर 1979

महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए

हिंदी साप्ताहिक असली भारत और अंग्रेजी साप्ताहिक रीयल इंडिया का शुभारंभ करते हुए; नई दिल्ली, 2 अक्तूबर 1979

ऑपरेशन फ्लड-II (मदर डेयरी) का उद्घाटन करते हुए; नई दिल्ली, 2 अक्तूबर 1979

जयप्रकाश नारायण को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए; नई दिल्ली, 9 अक्तूबर 1979

के समायोजन में हुई देरी, कोयला, इस्पात सरीखे जरूरी चीजों के उत्पादन में ह्रास, यातायात और बिजली की ढांचागत असफलता, औद्योगिक मजदूरों की प्रवृत्तियों में बदतर गिरावट इत्यादि सब मिलकर आज की हमारी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं; वस्तुपरक विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वर्तमान घटनाओं के कारणों की उत्पत्ति आज की नहीं है, बल्कि बीते अनेक वर्षों की कमियों की वजह से है। पिछले कुछे सप्ताहों में अर्थव्यवस्था की यह प्रतिकूल अवस्था देश के अधिकांश हिस्से में मानसून की असफल होने के चलते और खराब हुई है। कम खरीफ उत्पादन और ऊंचे मूल्यों के पूर्वानुमान के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ी हैं।

लेकिन आज हमारा उद्देश्य अतीत की पड़ताल करना नहीं है, बल्कि मौजूदा स्थिति पर विचार करना और भविष्य को बेहतर बनाना है। हालांकि हमें संतुष्ट होकर बैठ नहीं जाना है, फिर भी निराश होने की भी जरूरत नहीं है। विगत के किसी भी समय की तुलना में आज देश अपनी आर्थिक परेशानियों से निबटने के लिए बेहतर रूप से तैयार है। अनाज का विशाल भंडार हमारे पास है, जिससे खरीफ उत्पादन में कमी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों से प्रभावशाली ढंग से निबटा जा सकेगा। फिर भी खराब मानसून पेयजल और चारे का अभाव पैदा करेगा। राज्य सरकारों को इस कठिन परिस्थिति से निबटने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने होंगे। जरूरी है कि 'काम के लिए अनाज' कार्यक्रम को सघन बनाया जाए और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के और अवसर सुनिश्चित किए जाएं ताकि रोजगार के अभाव में लोग गांव छोड़ने पर मजबूर न हों। इसके लिए जो भी काम हों, ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए कि वे उन इलाकों में स्थायी परिसंपत्ति की संरचना करें।

अनाज भंडारण के अलावा हमारे पास विदेशी मुद्रा का बड़ा भंडार है जिसका उपयोग घरेलू उत्पादन के पूरक के रूप में खाद्य तेलों जैसी जरूरी चीजों के आयात पर किया जा रहा है। इन अनुकूल स्थितियों और अपेक्षित राजनीतिक इच्छा के साथ केंद्र और राज्य सरकारों को नाजायज मूल्य वृद्धि को रोकने और आम आदमी को जरूरत की चीजों की भरपूर उपलब्धता सुनिश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए।

असल में इस सम्मेलन के अंत तक कई कदम उठाए जा चुके होंगे। 80 लाख

टन गेहूं की रिकार्ड खरीद की जा चुकी है जो अतीत की तुलना में सबसे अधिक खरीद है। उत्पादन क्षेत्रों से अभावग्रस्त इलाकों और खाद्य पदार्थों की जरूरत वाली जगहों पर अनाज को भेजने का एक व्यापक कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। खाद्य तेलों का आयात बड़े पैमाने पर जारी है। जमाखोरी को रोकने के लिए अधिकतम भंडारण सीमा निर्धारित की गई है। चीनी के लिए मिल से निकालते समय के अधिकतम मूल्य और खुदरा मूल्य निर्धारित किए गए हैं और यह तय किया गया है कि हर महीने छह लाख टन चीनी जारी की जाएगी। यह अब तक की सर्वाधिक मात्रा है। कपड़े की सस्ती किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा चुके हैं और सूती धागों की कीमतें भी कम करने की कोशिश की गई है। पैसे के मामले में कड़े उधार नियंत्रणों को लागू किया गया है। बैंक उधार की दरों को व्यापार-भंडार को सीमित करने और सट्टेबाजी को रोकने के लिए बढ़ाया गया है। कर चोरों के खिलाफ आंदोलन को तेज कर दिया गया है। राज्यों को सलाह दी गई है कि 'जरूरी सामग्री कानून' को सख्ती से लागू करें। रेलवे, यातायात, इस्पात, कोयला और बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाने के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उन्हें क्रियान्वित कराने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में जरूरी कार्यवाही की जा रही है। लेकिन यह स्वाभाविक है कि जो कदम उठाए गए हैं उनके प्रभाव थोड़े समय के बाद ही महसूस किए जा सकेंगे।

ऐसा लगने लगा है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने जो कदम उठाए हैं उनके परिणाम आने लगे हैं। मुद्रास्फीति को रोका तो नहीं जा सका है, लेकिन मुद्रास्फीति की दर में गिरावट के चिह्न दिखने लगे हैं। फिर भी, मुझे लगता है कि हम लोगों को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मौजूदा प्रवृत्ति को रोकने के लिए और अर्थव्यवस्था को एक स्वस्थ्य परिदृश्य देने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। वास्तव में, यह तकलीफदेह बात है कि अनाज, चीनी और खाद्य तेलों सरीखे आवश्यक सामग्रियों के विशाल भंडार के बावजूद मूल्यों की वृद्धि नहीं रुक पाई है। यह स्थिति दो कारणों से पैदा हुई है- पहली, मौजूदा वैध वितरण प्रणाली का पर्याप्त नहीं होना और दूसरी, गैरकानूनी गतिविधियों में असामाजिक तत्वों के लिप्त रहने की क्षमता। केंद्र और राज्य सकारों का यह परम कर्तव्य है कि इन समस्याओं का शीघ्रता से समाधान करें। मुझे खुशी है कि राज्य सरकारों ने मांग और आपूर्ति के बीच के अप्राकृतिक असंतुलन को जन्म देने वाली प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के ख्याल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने की जरूरत को स्वीकार

कर लिया है। फिर भी ऐसा लगता है कि मौजूदा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। खाद्य तेल जैसी नई मदों को शामिल करने के लिए इस व्यवस्था के विस्तार की जरूरत है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि हाल ही में हुए मुख्य सचिवों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में इन विषयों पर जरा विस्तार से विचार किया गया है। जो सुझाव दिए गए और जो निष्कर्ष निकाले गए उन्हें सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए। प्रशासन को प्रभावकारी और दक्ष वितरण प्रणाली सुनिश्चित करना होगा ताकि जरूरी चीजें उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में, विशेषकर गरीब समुदायों में, मुहैया कराई जा सकें।

साथ-ही-साथ जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को समाप्त करने के लिए भी कदम उठाने पड़ेंगे। इन गैरसामाजिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को जरा भी माफी नहीं दी जा सकती है। इन अवांछित तत्वों से पूरी कड़ाई और सख्ती से निबटना होगा जो अपने मुनाफे के लिए लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। हम राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम और उसके अंतर्गत बने विभिन्न नियंत्रणादेशों को लागू करने की सलाह पहले ही दे चुके हैं। हालांकि कुछ हद तक यह भी सही है कि इन दंडात्मक व्यवस्थाओं में उन अपराध-वृत्ति वालों को प्रभावशाली ढंग से संभालना आसान नहीं है जो लोगों की दुर्दशा की परवाह किए बगैर केवल अपने फायदे की बात सोचते हैं। हमें कुछ दूसरे और अधिक कारगर उपायों के बारे में सोचना होगा। मैं आश्वस्त हूं कि आप सब लोग मेरी इस राय से सहमत होंगे कि इन आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करते समय, जब तक हम निजी और राजनीतिक फायदे को तिलांजलि दिए रहेंगे, तब तक ऐसे व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए, उठाए गए हमारे कड़े से कड़े कदम भी युक्तिसंगत बने रहेंगे।

इस संदर्भ में आप जो भी विधायी और प्रशासनिक कार्यवाही ठीक समझते हैं, उनके बारे में अपने सुझाव दें, मैं उन्हें जानने के लिए उत्सुक हूं।

आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कानून और व्यवस्था के बारे में भी विमर्श करने का प्रस्ताव हमने रखा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शानदार परंपरा हमारे यहां है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के दौरान उस परंपरा का निर्वाह किया जाएगा। चुनाव कराना और देश का आर्थिक प्रबंधन

हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और हमारी कोशिश ऐसे मामलों में एक राय पर काम करने की होनी चाहिए।

आज मैं आपसे इन विषयों पर सफल और व्यावहारिक बातचीत करने की उम्मीद करता हूं।

बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं

अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान बाल दिवस हमें यह याद दिला रहा है कि हमने बच्चों की उपेक्षा की है। महानगरों में बड़ी संख्या में बच्चों का जन्म फुटपाथों पर होता है। गांवों में बड़ी तादाद में बच्चे जीवनयापन की खातिर काम करने के लिए मजबूर हैं जबकि वे उनके खेलने, नाचने-गाने और पढ़ने के दिन होते हैं।

जब तक सरकार और आम आदमी गरीबों के लिए सोचना शुरू नहीं करते, तब तक बाल दिवस मनाया जाना मात्र औपचारिकता है, वास्तविकता से भागने और अपने को धोखे में रखने की कार्यवाही है। इस देश में चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 2.50 करोड़ से भी अधिक है। इनमें से 80 प्रतिशत बच्चे गांवों में रहते हैं। नवजात शिशुओं की मुत्यु-दर आज भी अधिक है।

बच्चों के प्रति हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धताएं और हमारी राष्ट्रीय नीतियां तत्काल क्रियान्वित होती हुई दिखनी चाहिए। संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को क्रियान्वित कराने का गंभीर प्रयास होना चाहिए ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसी बुनियादी जरूरतें लोगों तक शीघ्र पहुंच सकें।

इन मामलों में यह नहीं कहा जाना चाहिए कि धीरे-धीरे यह काम संपन्न हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों, सामाजिक संगठनों तथा आम लोगों को मिलकर काम करना होगा ताकि गरीबी, सामाजिक और आर्थिक वंचनाओं के साथ बेरोजगारी को जल्दी से पूरी तरह समाप्त किया जा सके। बीमारियों के खिलाफ

बाल दिवस पर संदेश, नई दिल्ली; 14 नवंबर, 1979

टीकाकरण, बच्चे की देखभाल और कल्याण केंद्रों से संबंधित कार्यक्रमों को शीघ्रताशीघ्र लागू किया जाना चाहिए।

सरकार की शिक्षा नीति में गरीब बच्चों को दोपहर का भोजन, यूनीफार्म और पाठ्य-पुस्तकें निःशुल्क दिए जाने के प्रावधान हैं। बाल मजदूरी को तभी जड़ से समाप्त किया जा सकता है जब कानून बनाने के साथ इस तरह के प्रोत्साहन भी दिए जाएं और वयस्कों को पूरा रोजगार दिया जाए।

बाल कल्याण के काम में लगे हुए सभी लोगों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करुणा का भाव दिखाना होगा। केवल वे लोग ही बच्चों की देखभाल कर सकते हैं जिनके मन में उनके लिए भावनाएं हैं, जो उनका ख्याल रख सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारे कार्यक्रम व्यर्थ साबित होंगे।

मैं सबसे अपील करता हूं, विशेष रूप से संपन्न लोगों से कि वे खुले दिल से राष्ट्रीय बाल कोष में दान दें।

यदि हमारे बच्चे खुश हैं, स्वस्थ और शिक्षित हैं, खाए-पिए हैं और उनके तन पर कपड़े हैं तभी एक राष्ट्र के रूप में हम समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपना प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष, खासकर यह साल, यह दिन समर्पित कर देना चाहिए ।

विकास के लिए आणविक ऊर्जा

हम लोग आणविक ऊर्जा के विकास के इतिहास के मोड़ पर खड़े हैं और इसलिए इस सत्र की कार्यवाही हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम सभी सहमत हैं कि आदमी अतीत के किसी भी समय की तुलना में आज विनाशकारी हथियारों, विशेषकर आणविक हथियारों के व्यापक और स्पर्धात्मक भंडारण के कारण मानवता के अस्तित्व के समाप्त होने के खतरे से जूझ रहा है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। दस वर्ष पूर्व किए गए एक आधिकारिक अनुमान के अनुसार विश्व में आणविक हथियारों का मौजूदा भंडार 15 टन, टी ए टी प्रतिव्यक्ति है। यह इस पृथ्वी के जीवन-जगत को अनेक बार पूर्ण रूप से निर्मूल करने के लिए काफी है। और फिर भी, आणविक हथियारों की स्पर्धा बिना रुके बढ़ती जा रही है। साथ ही, सामान्य रूप से जिनका हवाला दिया जाता है, वैसी कुछ घटनाएं जैसे कि माइल आइलैंड दुर्घटना जो इस साल अमरीका में घटी, जनभावनाओं को किसी भी प्रकार की आणविक ऊर्जा के खिलाफ उभारती हैं- अमरीका में भी और दूसरे देशों में भी। दूसरी ओर, ऊर्जा संकट को आज अधिकांश विश्व महसूस कर रहा है। सच्चाई यह भी है कि आने वाले कई दशकों तक न्यूक्लियर पावर रहेगा और शायद यह बढ़े हुए अनुपात में अनेक देशों के ऊर्जा स्रोतों के मुख्य अंग के रूप में उन देशों पर, जिनके पास आज कोई आणविक कार्यक्रम नहीं है, इस बात के लिए दबाव डालता रहेगा कि वे भी ऊर्जा के इस स्रोत को अपनाएं। इस क्रम में अंतरराष्ट्रीय परमाणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना इस उद्देश्य

अंतरराष्ट्रीय परमाणविक ऊर्जा एजेंसी की आम सभा के 23वें सत्र को संबोधन, नई दिल्ली; 4 दिसंबर, 1979

के साथ की गई थी कि वह परमाणविक ऊर्जा का इस्तैमाल विश्व में शांति स्थापना, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए करेगा। उसके संविधान में यह बात साफ-साफ लिखी है। इस एजेंसी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस भूमिका का निर्वाह करते हुए एजेंसी पूर्णतया अपने संविधान के अनुरूप काम करेगी। हमें यंह हमेशा याद रखना होगा कि एजेंसी की स्थापना इस बुनियादी उद्देश्य से की गई थी कि यह खासकर विकासशील देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आणविक ऊर्जा के उपयोग और हस्तांतरण को प्रोत्साहन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूती प्रदान करेगी। हालांकि यह सच है कि एजेंसी की कुछ नियंत्रक की भूमिकाएं भी हैं, लेकिन इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि ऐसी नियंत्रक भूमिकाएं एजेंसी के प्रोत्साहन देने की भूमिका की सहयोगी ही हो सकती हैं। मैंने इसका जिक्र किया क्योंकि हम इस बात पर चिंतित हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देखा यह गया है कि एजेंसी के प्रोत्साहन देने वाले पक्ष की तुलना में नियंत्रणकारी पक्ष पर अधिक बल दिया जा रहा है। तकनीकी सहयोग से अधिक महत्वपूर्ण बचाव पक्ष हो गया है। इससे भी आगे, एजेंसी जो भी तकनीकी सहयोग दे रही है उस पर भी ऐसी पूर्व शर्तें थोप दी गई हैं जो उसे सीमित और विशेषीकृत करती हैं। इस महान संस्थान की विश्वसनीयता के क्षरण को रोकने के लिए इस प्रवृत्ति की दिशा को उलटना पड़ेगा। इस संस्थान ने एक समय मानवजाति के लाभ के लिए आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभाई है।

पिछले दशक में आणविक हथियारों के अप्रसार के प्रश्न पर काफी कुछ लिखा और कहा गया है। भारत का विश्वास बराबर वास्तविक और व्यापक अप्रसार के सिद्धांत में रहा है और हमने सदा ही यह माना है कि अप्रसार के उपायों को सचमुच प्रभावकारी बनाने के लिए इसे सभी देशों और सभी आणविक गतिविधियों पर बिना भेदभाव के लागू किया जाना चाहिए। यह केवल इतिहास की बात नहीं है कि आणविक हथियारों के अप्रसार की अवधारणा पहली बार भारत द्वारा 1964 में लाई गई थी, जब हमने संयुक्त राष्ट्र को पिछली बातचीत से अलग होकर एजेंडे में एक नई बात शामिल करने के लिए कहा। यह आणविक हथियारों के अप्रसार की जरूरतों पर आधारित था। यह सन् 1954 के भारतीय प्रस्ताव के अनुरूप था जिसमें कहा गया था कि आणविक हथियारों के परीक्षण पर पूरी रोक लगनी चाहिए। उस समय जो हमारा दृष्किोण था, वह आज भी है। यह दृष्टिकोण

बहुत ही खराब ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित था वह यह कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाकार प्रसार वस्तुत: एक ही समस्या के अनिवार्य अंग हैं। यदि आणविक प्रसार की समस्या का हल निकाला जाना है तो इसे एक साथ, एक बार में करना होगा। सन् 1965 में संयुक्त राष्ट्र ने अप्रसार संधि को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया था जिसमें आणविक और गैर-आणविक शक्तियों के पारस्परिक दायित्वों के स्वीकार्य संतुलन को शामिल किया जाना था। दरअसल यहां मुख्य शब्द है 'शामिल'। इसके बावजूद जब इस संधि को अंतिम रूप दिया गया, यह आणविक हथियारों के उर्ध्वाकार प्रसार की समस्या पर मौन था। पिछले साल निरस्त्रीकरण पर हुए संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र के अंतिम दस्तावेज में अप्रसार संधि का लक्ष्य साफ बताया गया है। यह "एक तरफ मौजूदा पांच आणविक हथियार वाले देशों के अलावा आणविक हथियार संपन्न किसी नए देश को उभरने से रोकना है, तो दूसरी ओर क्रमिक रूप से आणविक हथियारों को कम करना और अंतत: उन्हें निर्मूल करना है।" अंतिम दस्तावेज आगे कहता है, "आणविक हथियारों से लैस राष्ट्र और वे राष्ट्र जिनके पास ये हथियार नहीं हैं, दोनों पर इस बात की जिम्मेवारी है। आणविक अस्त्र संपन्न देशों को आणविक अस्त्रों की होड़ को रोकने की जिम्मेवारी निभानी है और आणविक निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। साथ ही, सभी देशों को आणविक अस्त्रों के प्रसार को रोकने के लिए वचनबद्ध होना है।" इसके बावजूद हम पाते हैं कि हालांकि व्यवहार में आणविक हथियारों के संभावित प्रसार को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन हमें प्रसार की गति के मंथर होने का एक भी उल्लेखनीय प्रमाण देखने को नहीं मिला हैं। बेहद खतरनाक और अत्यंत गैरजरूरी आणविक हथियारों की होड़ बदस्तूर जारी है। मुझे मालूम है कि हमें उनमें से किसी एक में कोई सफलता तबतक नहीं मिल सकती, जबतक कि दूसरे कार्यक्रम में भी उतनी ही सफलता नहीं मिल जाती है। इससे भी अधिक दुखद यह सच्चाई है कि उनमें से अधिकांश देश, जो क्षैतिज अप्रसार का उपदेश देते हैं, उसी सांस में आणविक हथियार रखने और अपने देश की रक्षा में उनका उपयोग करने के प्रति अपने अधिकार का दावा भी करते हैं। यह उनके 'आणविक प्रतिरोधी क्षमता' के सिद्धांत पर आधारित होता है।

अप्रसार शब्द का काफी दुरुपयोग हो चुका है। अप्रसार के नाम पर उन विकासशील देशों के रास्ते में रोड़े डालने के प्रयास जारी हैं, जो काफी त्याग करके, परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए देशी सुविधाएं विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। अप्रसार के नाम पर छोटे-छोटे देशों को ऐसे अंकुश और

नियंत्रण स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है जो एक भी आणविक अस्त्र संपन्न शक्तिशाली देश मानने के लिए राजी नहीं है। अप्रसार के नाम पर तथाकथित सुरक्षित और अपहुंच वाली जगहों पर आणविक ईंधन चक्र की गतिविधियों को सीमित करने के लिए संस्थान द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं। एक प्रकार से एक ऐसी स्थिति बहाल कर देने की कोशिश है जहां अधिकांश देशों को स्थायी रूप से आर्थिक और प्रौद्योगिक नुकसान पहुंचे। यह सब निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र के अंतिम दस्तावेज, जिसे आम राय से स्वीकार किया गया था, के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद हो रहा है। यह दस्तावेज कहता है, "अप्रसार सरीखे कदम से उन राष्ट्रों के इस अधिकार को पूर्णतया व्यवहार में लाने के अधिकार से नहीं रोका जा सकता है जिसे वे अपने फायदे, जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का कार्यक्रम बनाना और क्रियान्वित करना चाहते हैं।" यह दस्तावेज आगे कहता है कि "सभी राष्ट्रों को आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए प्रौद्योगिकी, मशीन और सामान प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, खासकर विकासशील देशों की जरूरतों के संदर्भ में।" – ये महत्वपूर्ण बातें हैं और इन्हें अंतरराष्ट्रीय परमाणविक ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों को दिमाग में रखना चाहिए। परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के विकास में एजेंसी की बुनियादी भूमिका है।

मैं समझता हूं कि हाल के इन वर्षों में, एजेंसी के मुख्य कार्यों में एक कार्य यह भी है कि वह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करे। इसमें राष्ट्रीय आणविक संस्थापनाएं भी शामिल हैं। सभी सहमत हैं कि सुरक्षा के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही, यह भी माना गया है कि सुरक्षा के उपाय केवल क्षैतिज प्रसार के मामलों में ही प्रासंगिक हैं। इससे हम सहमत नहीं हो सकते। यदि अंतरराष्ट्रीय जांच, जिसे सुरक्षा के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने की बात कही कई है, अप्रसार का ही एक कदम है तो उसे एक समान रूप से आणविक हथियार के क्षैतिज और उर्ध्वाकार प्रसार दोनों पर लागू होना चाहिए। इस पर विवाद किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणविक ऊर्जा एजेंसी का अधिकार क्षेत्र आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल तक ही सीमित है। इसलिए यह गैर–आणविक संस्थापनाओं पर सुरक्षा के उपायों को थोपने के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि समय आ गया है कि एजेंसी को समस्या के इस पक्ष पर सावधानीपूर्वक अपने विचार रखने चाहिए। यह विशेषकर तब और महत्वपूर्ण

है जब हम जानते हैं कि अस्त्र बनाने योग्य आणविक पदार्थों को भारी मात्रा में आणविक अस्त्रों वाले राष्ट्रों से दूसरे देशों में भेजे जाने के मामले प्रकाश में आए हैं हालांकि सुरक्षा उपायों का मकसद इन्हें रोकना था।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय आणविक अस्त्रों के इस्तेमाल को मानवता के खिलाफ अपराध और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन की संज्ञा पहले ही दे चुका है। 1925 का जेनेवा प्रोटोकॉल, जो युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, महाविनाश करने वाले इन दोनों तरह के हथियारों को समूल समाप्त करने के वर्तमान प्रयासों में अमूल्य साबित हुआ है। आणविक अस्त्रों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाली ऐसी ही एक और संधि या समझौता अपने आप में उपयोगी होने के अलावा आणविक निरस्त्रीकरण का पूर्वगामी साबित होगा।

तीन दशकों से भी ज्यादा समय से भारत आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में सक्रिय है। द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत में, जब अधिकांश देशों ने परमाणविक ऊर्जा को विनाशकारी औजार के रूप में देखा, भारत तब तक आर्थिक विकास में परमाणविक ऊर्जा के इस्तेमाल के बारे में सोचना शुरू कर चुका था। भारत द्वारा प्रयोगशाला-स्तर से लेकर उद्योगों तक आणविक विज्ञान का विकास अपनी बुद्धि और अपने बूते पर इस अवधारणा को ध्वस्त करता है कि विकासशील देशों को समाज में विज्ञान के प्रयोग के बारे में विकसित देशों के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए बल्कि विकसित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योजनाबद्ध इस्तेमाल के जरिए प्रौद्योगिकी विकास के कुछ चरणों के बारे में ही सोचना चाहिए। भारतीय परमाणविक ऊर्जा कार्यक्रम के सीधे लाभ अधिक हैं, काफी महत्व के भी हैं। भारतीय उद्योगों को जो जानकारियां और दक्षताएं दी गई हैं उनसे उनकी प्रौद्योगिक दक्षता, गुणवत्ता के प्रति चेतना और आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। परमाणविक ऊर्जा का योगदान राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्कृति को बढ़ाने में रहा है। साथ ही, हम आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की अपनी प्रतिबद्धता से भी कभी विमुख नहीं हुए हैं।

जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, अंतरराष्ट्रीय परमाणविक ऊर्जा एजेंसी की भूमिका परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के विकास में अहम है। मुझे उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणविक एजेंसी के क्रमिक विमर्श के कारण एक दीर्घकालिक योजना बनाने में सफलता मिलेगी जिससे खासकर विकासशील देशों को अपने राष्ट्रीय विकास में परमाणविक ऊर्जा के फायदों के इस्तेमाल में सहायता

मिलेगी। एजेंसी को ऐसी योजना के क्रियान्वयन के बारे में विचार करना चाहिए। इस प्रक्रिया में एजेंसी को इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मौजूदा मानदंडों को भी देखना चाहिए। हमें जरूरत है सहयोग की, असहयोग की नहीं। इस मामले में और दूसरे मामलों में भी, जो लक्ष्य हमारे सामने हैं वे हमसे बुद्धिकौशल और परिपक्वता की मांग करते हैं जिसमें उच्चकोटि का परस्पर विश्वास और समझदारी जरूरी है।

संदेश / श्रद्धांजलियां

पाकिस्तान को शुभकामनाएं

पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर भारत के नागरिकों, भारत की सरकार और अपनी ओर से आपको तथा आपकी सरकार को और पाकिस्तान के लोगों का हार्दिक अभिवादन करके और बधाई देकर मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है।

आपके स्वास्थ्य और पाकिस्तान के लोगों की उन्नति और समृद्धि के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पाकिस्तान इस्लामिक गणतंत्र के राष्ट्रपति माननीय जनरल जिया-उल-हक को बधाई संदेश, नई दिल्ली; 13 अगस्त, 1979

विपदा में सांत्वना

गुजरात के राजकोट जिले के मूर्वी नामक शहर और लीलापुर गांव में अचानक बाढ़ के प्रकोप से मूल्यवान जिंदगियों के भारी नुकसान और संपत्ति के विनाश से मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। मुझे उम्मीद है, प्रभावित लोगों की सहायता करने में गुजरात की सरकार का सारा राष्ट्र मदद करेगा।

कृपया मेरी हार्दिक संवेदनाएं उन परिवारों तक पहुंचा दें जिन्होंने अपने सगे-संबंध ी खो दिए हैं। प्रकृति की इस विनाश लीला को हालांकि रोकना नामुमकिन है, फिर भी हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो आघात उन्हें पहुंचा है उससे वे जल्दी ही उबर जाएंगे।

इस परीक्षा की घड़ी में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गुजरात सकार को मदद पहुंचाने में भारत सरकार कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

गुजरात में आई विनाशकारी बाढ़ में हुई जान-माल की क्षति पर संवेदना संदेश, नई दिल्ली; 13 अगस्त, 1979

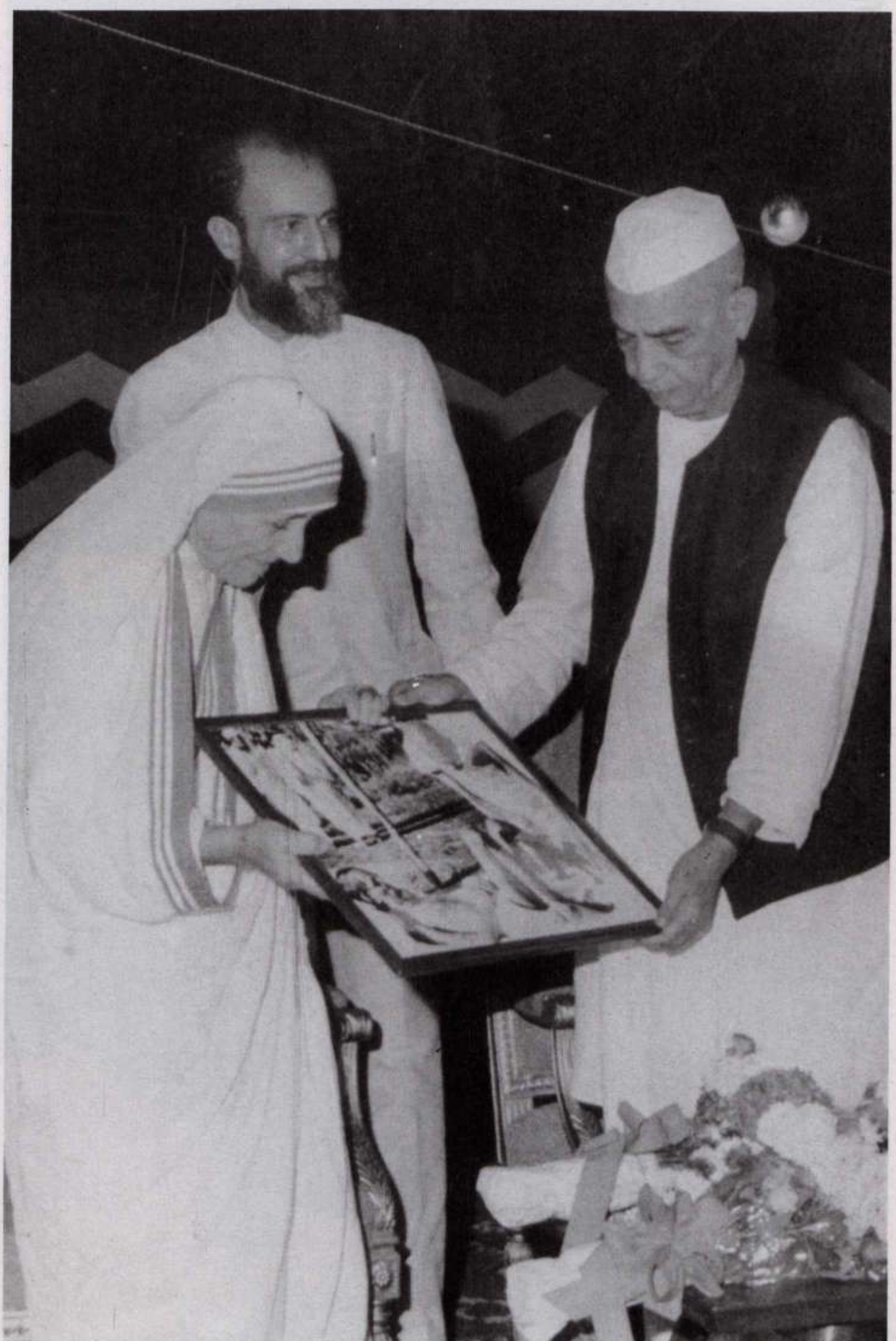

नई दिल्ली में मदर टेरेसा को उपहार भेंट करते हुए, 7 नवंबर 1979

अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की आमसभा को संबोधित करते हुए; नई दिल्ली, 4 दिसंबर 1979

नई दिल्ली में इफ्तार की एक दावत में

अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की आमसभा के उपलक्ष्य में डाकटिकट जारी करते हुए; नई दिल्ली, 4 दिसंबर 1979

राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के साथ; नई दिल्ली, 9 जनवरी 1980

माउंटबेटन : एक अभिन्न मित्र

त्रासद स्थितियों में लार्ड माउंटबेटन की मृत्यु की खबर सुनकर मुझे दुख पहुंचा है। अपनी मातृभूमि की सेवा का उन्होंने महान कार्य किया है जिसके कारण वे रॉयल नौसेना के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। उनके कारण यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में रक्षा बलों को महत्वपूर्ण जगह मिलेगी। यहां भारत में, उन्हें वायसराय के रूप में और एक ऐसे गर्वनर जनरल के रूप में याद किया जाएगा जिसने भारत की आज़ादी के समय हमें अपार बुद्धि-कौशल और शुभाशंसाएं दी थी। समूचे राष्ट्र ने लार्ड माउंटबेटन को आजाद भारत का अपना पहला गवर्नर जनरल मान लिया था, तो यह उनके प्रति अपना प्रेम जताना था, उनके अपक्षपाती होने के प्रति सम्मान था, भारत की आजादी के लिए उनके मन में जो सरोकार था, उसका सम्मान था। उनकी प्रेरणा और ऊर्जा से आजादी के बाद के कठिन समय में हमें मदद मिली थी। उनकी मृत्यु से भारत का महान मित्र खो गया है। हमें दुख है कि इस साल के अंत में होने वाली उनकी भारत यात्रा अब नहीं हो सकेगी।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनके परिवार के संदस्यों को मेरी दिली शोक-संवेदनाएं पहुंचा दें।

लार्ड माउंटबेटन की मृत्यु के पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भेजा गया शोक-संदेश; नई दिल्ली; 26 अगस्त, 1979

राष्ट्र की आत्मा जयप्रकाश

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मृत्यु से राष्ट्र का संचेतक छिन गया है। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद राष्ट्र का नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व उनके ही कंधे पर आ गया था। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने इस दायित्व का निर्वाह किया। हमारे लोगों में जो भी अच्छा है उन्हें जगाने का जो काम उन्होंने किया, उसे याद किया जाएगा। विदेशी प्रभुता के खिलाफ जवांमर्द मुखालफत के वे प्रतिनिधि थे। समय के साथ-साथ जे.पी. गरीबों, वंचितों और शोषितों की लड़ाई लड़ने वाले अनथक योद्धा हो चले थे। आजादी के शुरुआती दिनों में जे.पी. ने पूरी नैतिकता के साथ अपने आपको सत्ता से दूर रखते हुए आजादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के टार्च को बराबर जलाए रखा। जब उन्होंने यह तय कर लिया कि वे सक्रिय राजनीति छोड़ देंगे और अपना जीवन भूदान आंदोलन में लगा देंगे तब गांधीवाद के प्रति उनकी संपूर्ण निष्ठा दिखाई पड़ी। लेकिन इसके कारण वे लोगों को एक ऐसे समय में नेतृत्व देने से जरा भी पीछे नहीं हटे जब लोकतांत्रिक आजादी खतरे में पड़ गई थी। उनके प्रयासों से ही आजादी का दूसरा आंदोलन चल पड़ा और भारत एक बार फिर मार्च 1977 में लोकतंत्र और व्यक्ति की आजादी का अगुवा बन कर उभरा। इस ऐतिहासिक लड़ाई को वे छेड़ चुके थे, इस बुराई के खिलाफ वे वीरता से लड़े थे, जो कि कम साहसी लोगों के लिए खतरनाक होता है। यह नुकसान अपूरणीय है लेकिन जो वे छोड़कर गए हैं वह हमारे लिए बराबर जागृति का काम करेगा और हमें हमारे महान उद्देश्यों और समर्पणों की याद दिलाता रहेगा। उनकी आत्मा को शांति मिले। सार्वजनिक जीवन का चरित्रवान सूरज डूब चुका है लेकिन हमें भरोसा करना चाहिए कि इसके बाद कोई रात नहीं आएगी।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मृत्यु पर शोक-संदेश, नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1979

महान लोकोपकारक मदर टेरेसा

इस साल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया है। इस अवसर पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। मदर टेरेसा अपने आप में एक संस्था हैं। मानवता की सेवा जिस तरह उन्होंने की है उसमें गांधीवादी प्रभावों के दर्शन होते हैं। उनका चुनाव अत्यंत उपयुक्त है। मदर टेरेसा से बढ़कर और कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता था जिसे यह विशिष्ट सम्मान दिया जा सकता हो। भारत को गर्व है कि उनके काम से इस देश का सम्मान बढ़ा है। इसे उन्होंने अपना माना है। मैं आभारी हूं कि यह सम्मान एक ऐसे देशभक्त को दिया गया है जो विश्व में शांति स्थापना के प्रति कृत-संकल्प है।

मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने के अवसर पर संदेश, नई दिल्ली; 17 अक्तूबर, 1979

1400वां हिज़्री नववर्ष

कल से शुरू होने वाले 1400वें हिज़्री वर्ष का उत्सव पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर है। यह केवल मुस्लिम भाइयों के लिए ही पवित्र नहीं है बल्कि पूरी मानवता के लिए उतना ही पवित्र है। हिज्र की 1400वीं वर्षगांठ मनाने की हमने एक सुंदर योजना बनाई है और मैं सभी भारतवासियों से इस समारोह में शामिल होने और उसे सहयोग देने की अपील करता हूं। भारत के लिए, हिज्र की 1400वीं वर्षगांठ का समारोह जिसे 'यरूशलम का वर्ष' कहा गया है, समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस सदी में हमने फिलस्तीन के हजारों लोगों को विस्थापित होते और यरूशलम जैसे पवित्र शहर पर अनधिकार कब्जा होते हुए देखा है।

संकीर्ण हितों से उभरी बर्बर राजनीतिक शत्रुता के इस समय में, हम तहेदिल से इस जरूरत को महसूस करते हैं कि राष्ट्र-राज्यों के बीच नैतिकता की अविछिन्न डोर बांधी जानी चाहिए। भारत की यह सिद्धांतपरक मान्यता इसी विश्वास से निकली है। हमने इजरायल की कार्यवाहियों का विरोध तभी से किया है जब उसने फिलस्तीनी इलाकों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और लोगों को अपने वतन और घरों से भगा दिया गया। हम अपनी इस मांग से कभी पीछे नहीं हटे कि पश्चिमी बैंक, गाजापट्टी और गोल्डेन हाइट्स की हड़पी हुई जमीन इजरायल खाली करे। और, पवित्र शहर यरूशलम को झगड़े की वजह बनाने की बजाए, उसे शांति और सद्भाव

1400वें हिज़्री नववर्ष के अवसर पर संदेश, नई दिल्ली; 20 नवंबर, 1979

का प्रतीक बनाया जाए। यह हमारी इच्छा है कि यरूशलम को सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया जाए ताकि वे पवित्र शहर के सभी पूजास्थलों पर स्वतंत्रता से पूजा-पाठ कर सकें। 'यरूशलम के लिए' समर्पित इस वर्ष में विश्व समुदाय इस शहर के विस्थापित निवासियों और नागरिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र आमसभा के प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराए जिसमें लगातार अरब भाइयों के अपने वतन लौट जाने के अधिकारों का समर्थन किया गया है।

हॉकी का जादूगर

मेजर ध्यानचंद की मृत्यु के साथ खेलकूद की दुनिया का एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हमने खो दिया है। प्रतिभा, कलात्मकता और गौरव जो ध्यानचंद के कारण हॉकी को मिला उसे तब तक याद किया जाता रहेगा जब तक यह खेल संसार के किसी भी भाग में खेला जाता रहेगा।

उनके शोक संतप्त परिवार को मैं अपनी हार्दिक शोक संवेदनाएं देता हूं।

मेजर ध्यानचंद की मृत्यु पर शोक-संदेश, नई दिल्ली; 3 दिसंबर, 1979

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

ISBN : 81-230-0820-1
मूल्य : 145 रुपये